अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा का संशोधित पाठ्यक्रम

अक्टूबर 2022

समिति के सदस्य:

1. श्री एम एस सुब्रह्मण्यम, महानिदेशक (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), हैदराबाद
2. सुश्री अल्का रेहानी भारद्वाज, महानिदेशक (सरकारी लेखा)
3. श्री मनीष कुमार-II, महानिदेशक (वित्त एवं संचार)
4. श्री संदीप रॉय, महानिदेशक (मध्य रेलवे)
5. श्री सौरभ कुमार मलिक, महानिदेशक (मध्य क्षेत्र)
6. श्री शैलेंद्र विक्रम सिंह, महानिदेशक (पीसी)
7. श्री बिजित कुमार मुखर्जी, प्रधान निदेशक (स्थानीय निकाय)
8. श्री सुमंत नारायण, प्रधान निदेशक (उत्तर रेलवे)
9. श्री विक्रम डी मुरुगराज, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रेलवे वाणिज्यिक)
10. श्री वी एस वेंकटनाथन, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा), चंडीगढ़,

संयोजक: श्री पुरुषोत्तम तिवारी, महानिदेशक (परीक्षा)

अध्यक्ष: श्री के.एस. सुब्रमण्यन, एडीएआई (स्टाफ)

समूह-I

पीसी 1: भाषा कौशल ***(सभी शाखाओं के लिए)***

अवधि: 3 घंटे ***अधिकतम अंक: 100***

उद्देश्य:

1. उम्मीदवारों को दी गई सामग्री को पढ़ने और समझने और विचारों को स्पष्ट रूप से, सही ढंग से और संक्षिप्त तरीके से व्यक्त करने की क्षमता की जांच करना।
2. लेखापरीक्षा विषयवस्तु का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले जानकारी का विश्लेषण करने के लिए उम्मीदवार की क्षमता की जांच करना।

विस्तृत पाठ्यक्रम:

प्रश्नों के प्रकार #: **'वर्णनात्मक'**

1. ड्राफ्ट पैराग्राफ/ड्राफ्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियां- (**25-30 अंकों** के बीच)

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे दी गई सामग्री (अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा और/या स्वायत्त निकायों/पीएसयू और राज्य/केंद्र सरकार के लेखों के वित्तीय विवरणों की सामग्री शामिल हो सकती है) से एक ड्राफ्ट पैराग्राफ या ड्राफ्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियां तैयार करें।

2. लघु निबंध- (500 शब्द; **20-25 अंकों** के बीच)

उम्मीदवारों को दिए गए चार/पांच विषयों में से एक पर निबंध लिखना होगा। उनसे उम्मीद की जाएगी कि वे अपने विचारों को क्रमानुसार तरीके से व्यवस्थित करने और संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए निबंध के विषय के अनुरूप लिखेंगे। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए क्रेडिट दिया जाएगा।

3. सारलेख- (दिए गए गद्यांश का एक तिहाई भाग; **20-25 अंकों** के बीच)

उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह एक व्यापक गद्यांश के मुख्य बिंदुओं का सार या सारांश लिखे, जिसमे उसके अपने शब्दों में गद्यांश के मुख्य सार/विचार शामिल हों।

4. एक गद्यांश पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देना (**10-15 अंकों** के बीच)

उम्मीदवारों को पढ़ने और समझने और तीन से पांच छोटे प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, संक्षिप्त और सही भाषा में देने के लिए एक गद्यांश दिया जाएगा।

5. पत्र लेखन/का.ज्ञ. का ड्राफ्ट तैयार करना- (**10-15 अंकों** के बीच)

उम्मीदवारों को एक शासकीय/अर्ध शासकीय पत्र लिखने या किसी दिए गए विषय पर एक कार्यालय ज्ञापन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा जाएगा।

पठन सामग्री

1. एमएसओ लेखापरीक्षा भाग 7 अध्याय 3 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना।

2. विभाग द्वारा निर्धारित शैली मार्गदर्शिका।
3. मुथुस्वामी और बृंदा द्वारा सारलेखन और ड्राफ्ट।
4. कार्यालय सहायिका - केंद्रीय सचिवालय, हिंदी परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक।
5. पुस्तकें, जिनमें वे प्रश्न शामिल हो सकते है जिनके मानक लिपिक ग्रेड और परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भारतीय बैंकिंग सेवाओं के समान हो सकते हैं।

समूह-I

पीसी 2: सरकारी लेखापरीक्षा *(सभी शाखाओं के लिए)*

अवधि: 2 घंटे *अधिकतम अंक: 100*

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी आधारित होंगे

उद्देश्य:

निम्न के बारे में उम्मीदवारों के ज्ञान का आकलन करने के लिए:

- लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा के प्रकार और लेखापरीक्षण प्रक्रिया, लेखापरीक्षा में नए विकास
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश और सभी चरणों में लेखापरीक्षा के लिए नियमों के प्रावधान लागू करने की क्षमता

नोट:

➢ जबकि विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षाओं का विवरण संबंधित समूह II पेपरों में शामिल किया जाएगा, यह पेपर विभिन्न लेखापरीक्षा और उनकी प्रयोज्यता के बीच अंतर करने की उम्मीदवार की क्षमता का आंकलन करेगा।

➢ लेखापरीक्षा के लिए मानदंड बनाने वाले विभिन्न नियमों/प्रावधानों को इस पेपर के भाग के रूप में उम्मीदवारों के ज्ञान की जांच करने के लिए नहीं पूछा जाना चाहिए। हालांकि, ऐसे नियमों की प्रयोज्यता के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे मामले में, मामले के भाग के रूप में उम्मीदवारों को नियम प्रावधान प्रदान किया जा सकता है।

I. लेखापरीक्षा और सीएजी का अधिदेश: (भारांक – 15 प्रतिशत)

- लेखापरीक्षा की परिभाषा, प्रकार
- भारत के सीएजी का विजन और मिशन
- भारत का संविधान (भारत के सीएजी से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान)
  - i. भाग 1, अनुच्छेद -12
  - ii. भाग V (वित्तीय मामलों में प्रक्रियाएं - अनुच्छेद 112-117, अध्याय V- भारत के सीएजी - अनुच्छेद 148-151)
  - iii. भाग VI (वित्तीय मामलों में प्रक्रियाएं - अनुच्छेद 202-207)
  - iv. भाग IX, IX ए (पंचायतें, नगरपालिकाएं ,11 वीं और 12 वीं अनुसूची के साथ), 73 वां और 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम।
  - v. भाग XI (7 वीं अनुसूची के साथ)
  - vi. भाग XII- अध्याय I और II
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971, लेखापरीक्षा और लेखा विनियम 2020।

II. लेखापरीक्षण के सिद्धांत और मानक: (भारांक – 25 प्रतिशत)

- अंतर्राष्ट्रीय मानक- इंटोसाई सिद्धांत और चयनित मानक और मार्गदर्शन।
  I. इस्साई - 1, 10, 100, 200, 300, 400
- सीएजी की आचार संहिता और इस्साई 130 सहित लेखापरीक्षा में आचार संहिता
- सीएजी के लेखापरीक्षण मानक

III. लेखापरीक्षा प्रक्रिया: (भारांक – 30 प्रतिशत)

- लेखापरीक्षा की योजना और अभिकल्प:
  सत्व को समझना, जोखिम विश्लेषण (मानदंड और तकनीकें), लेखापरीक्षा प्रोग्रामिंग, डेस्क समीक्षा, लेखापरीक्षा डिजाइन मैट्रिक्स (मानदंड और उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धति की पहचान)।
- कार्यान्वयन
  एंट्री/एग्जिट सम्मेलन, लेखापरीक्षा मांग/लेखापरीक्षा पूछताछ/लेखापरीक्षा अभ्युक्ति, लेखापरीक्षा साक्ष्य (विशेषताएं, साक्ष्य संग्रहण और विश्लेषण तकनीक)
- रिपोर्टिंग
  आईएएडी की विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा रिपोर्टें, कार्यकारी सार, अच्छी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की विशेषताएं
- अनुवर्ती
  पीएसी/विधायी समितियां (गठन, आईएएडी के साथ संपर्क और विभिन्न रिपोर्टें), एटीएन/एटीआर

IV. लेखापरीक्षा विशेषज्ञता: (भारांक – 10 प्रतिशत)

- पर्यावरण लेखापरीक्षा, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के संबंध में लेखापरीक्षा की भूमिका, पीपीपी की लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रणों की लेखापरीक्षा

V. सांख्यिकी और लेखापरीक्षा के लिए इसका अनुप्रयोग: (भारांक – 20 प्रतिशत)

- वर्णनात्मक सांख्यिकी
- डेटा का ग्राफिकल और संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण
- केंद्रीय प्रवृत्ति (मध्य, माध्यिका, मोड) और प्रकीर्णन के माप
- सहसंबंध की मूल अवधारणाएं.
- नमूनाचयन तकनीकें (प्रश्नों को एक विशिष्ट लेखापरीक्षा स्थिति में सांख्यिकीय अवधारणाओं को लागू करने के लिए उम्मीदवारों की क्षमता की जांच करनी चाहिए)

पठन सामग्री

1. भारत का संविधान (भारत के सीएजी से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान)
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971
3. लेखापरीक्षा और लेखा विनियम 2020
4. सीएजी के लेखापरीक्षण मानक 2017
5. लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन फ्रेमवर्क
6. सीएजी की आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन नियमपुस्तिका
7. बुनियादी ढांचा परियोजना में सार्वजनिक निजी भागीदारी सीएजी के सार्वजनिक लेखापरीक्षण दिशानिर्देश
8. सीएजी द्वारा जारी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन लेखापरीक्षण दिशानिर्देश
9. सीएजी द्वारा जारी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा की भूमिका पर स्थायी आदेश।
10. अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी (कक्षा ग्यारहवीं के लिए पाठ्य पुस्तक) – https://ncert.nic.in/textbook.php?kest1=0-9
11. इस्साई-1, 10, 100, 130, 200, 300, 400 (https://www.issai.org/professional- pronouncements/)
12. आईए एण्ड एडी की शैली मार्गदर्शिका

समूह- I

पीसी 3: सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धांतिक और व्यावहारिक) (सभी शाखाएं)

अवधि:2 घंटे ***अधिकतम अंक: 100***

उद्देश्य:

1. **आईटी कौशल की जांच करने के लिए:** इस क्षेत्र में वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और प्रेज़ेंटेशन स्किल्स (दूसरे शब्दों में बेसिक एमएस ऑफिस सुइट) में बुनियादी कौशल को शामिल किया जाएगा। डेटाबेस हैंडलिंग कौशल का आकलन करने पर जोर दिया जाएगा। आज जो अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, वह यह है कि लेखापरीक्षक डेटाबेस संचालित दृष्टिकोण को अपनाने में सक्षम हो। जैसे ही एक लेखापरीक्षक डेटा देखता है या उपयोग करता है, उसे डेटा संरचना में डेटा की कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए। अधिकांश अन्य कौशल लेखापरीक्षक के इस कौशल से प्रकट होंगे। आज भी, डेटा के लिए वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करने वाले लेखापरीक्षक कम है। यहां तक कि डेटा प्रयोग करते समय स्प्रेडशीट की भी अपनी सीमाएं हैं। अधिकांश कार्यालयों में वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के दौरान इकाइयों के जोखिम आधारित चयन को पूरा करने के लिए सभी प्रासंगिक विशेषताओं के साथ लेखापरीक्षित इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यालयों में लेखापरीक्षा डेटा वर्ड और एक्सेल फ़ाइलों में बिखरा हुआ है। डेटाबेस हैंडलिंग कौशल के साथ एक लेखापरीक्षक इस मुद्दे का समाधान करने में सक्षम होगा। इसी तरह निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) में - दिशानिर्देशों में स्प्रेडशीट में संपूर्ण डेटा संग्रह शामिल है। विभिन्न कार्यालयों से स्प्रेडशीट में एकत्र की गई जानकारी को मैन्युअल रूप से एकत्र किया जाना है। डेटा संचालित दृष्टिकोण के साथ एक लेखापरीक्षक इसके लिए कुशल और प्रभावी समाधान प्रदान करने में सक्षम होगा।
2. **कम्प्यूटरीकृत वातावरण में लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना:** यह क्षेत्र लेखापरीक्षित के आईटी सिस्टम से डेटा प्राप्ति और इम्पोर्ट पर कौशल की जांच करेगा।
3. **आईएस लेखापरीक्षा कौशल की जांच करने के लिए:** यह क्षेत्र आईएस लेखापरीक्षा करने में लेखापरीक्षक के कौशल की जांच करेगा। लेखापरीक्षक को आईएस लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा के लिए आईटी के उपयोग के बीच अंतर के संबंध में स्पष्टता होनी चाहिए।

क. सूचना प्रौद्योगिकी (सैद्धांतिक) **40 अंक**

1.1 कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांत **10** अंक

1.1.1 कंप्यूटर और उनके घटकों का परिचय- हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी डिवाइस आदि

1.1.2 बेसिक सॉफ्टवेयर टूल एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावरपॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके प्रमुख कार्य, ईआरपी सिस्टम.

1.1.3 बुनियादी कंप्यूटर नेटवर्क अवधारणाएं- लैन/वैन/इंटरनेट, सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड पॉइंट डिवाइसेज

1.1.4 क्लाउड कंप्यूटिंग - बुनियादी अवधारणाएं (आईएएएस, पीएएएस, एसएएएस)

1.2 डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली **10 अंक**

1.2.1 डेटा और डेटाबेस - डीबीएमएस और आरडीबीएमएस की बुनियादी अवधारणाएं, एक डेटाबेस डिजाइन करना, सामान्यीकरण।

1.2.2 रिलेशनल डेटाबेस (इंटेग्रिटी कान्सट्रेंट्स – प्राइमरी,फ़ारेन कीज, रिलेशनशिप के प्रकार)

1.2.3 एक्शन क्वेरी, जॉइन, व्यू, डेटा मेनीपुलेशन आदि की अवधारणा।

1.3. भारत में सूचना प्रणालियों का शासन और प्रबंधन **05 अंक**

1.3.1. आईटी अधिनियम 2000 (और उत्तरवर्ती संशोधन)

1.3.2. आईटी (प्रासंगिक सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा और सूचना नियमावली-2011)

1.3.3. भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्ल्यू)

1.3.4. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) और संबद्ध एमएमपी (मिशन मोड परियोजनाएं)

1.3.5. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ई-क्रांति मिशन

1.4. सूचना परिसंपत्तियों का संरक्षण **05 अंक**

1.4.1. सूचना संरक्षण के लिए बुनियादी मानदंड - गोपनीयता, अखंडता और गैर-पठनीयता, डेटा की उपलब्धता

1.4.2. गोपनीयता सिद्धांत, व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी के सिद्धांत (पीआईआई)

1.4.3. फिजिकल एक्सेस और एनवायरमेंट कंट्रोल

1.4.4. सूचना प्रणाली आक्षेप विधियां और वर्तमान ओडब्ल्यूएएसपी भेद्यताएं

1.5. सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण प्रक्रिया **05 अंक**

1.5.1. आईटी वातावरण में लेखापरीक्षण पर सीएजी का स्थायी आदेश (अगस्त 2020)

1.5.2. नियंत्रण के प्रकार (नियंत्रण उद्देश्य और उपाय, सामान्य और आईएस विशिष्ट नियंत्रण)

1.5.3. सीएएटी'स, सतत लेखापरीक्षण तकनीक

1.6. सूचना प्रणाली अधिग्रहण, विकास और कार्यान्वयन **05 अंक**

1.6.1. सिस्टम विकास जीवन चक्र (एसडीएलसी) चरण।

सुझाई गई पठन सामग्री/संदर्भ:

1. सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में लेखापरीक्षण पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का स्थायी आदेश।
2. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए आईटी लेखापरीक्षा पर डब्ल्यूजीआईटीए-आईडीआई हैंडबुक।
3. 1.3 के लिए - अधिनियमों/नियमों का उपयोग पठन सामग्री के लिए किया जा सकता है।
4. पीटर नॉर्टन द्वारा कंप्यूटर का परिचय - टाटा-मैकग्रा-हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित सातवां संस्करण।
5. सरकारी कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश (वर्तमान संस्करण) एमईआईटीवाई - एनआईसी द्वारा संकलित और परिचालित।
6. आईटी लेखापरीक्षा विंग (आईसीसा) द्वारा मुद्रित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के प्रणाली विकास चरणों में लेखापरीक्षा की भागीदारी के लिए जांच सूची।

ख. सूचना प्रौद्योगिकी (व्यावहारिक) **60 अंक**

I. वर्ड 2019 **10 अंक**

टैक्सट फॉरमेटिंग, पैराग्राफ, सेक्शन और ऑब्जेक्ट्स, टेबल क्रिएट और मैनेज करना, लिस्ट, इंडेक्स, रेफ्रेन्स टेबल, हाइपरलिंक, मेल मर्ज, फ़ाइल कमपेयर, एमबेडिंग डाक्यूमेंटस, बुकमार्कस, कॉमेन्टस, हेडर, फूटर, ट्रैक चेन्ज, प्रिंट और सेव करने के लिए डाक्यूमेंट कॉन्फ़िगर करना।

II. एक्सेल 2019 **20 अंक**

वर्कशीट और वर्कबुक्स क्रिएट और मैनेज करना, इम्पेर्टिंग टैक्सट, सीएसवी, एमएस- एक्सेस डाटा एक्सेल में, फक्शंन (टैक्सट, न्यूमिरक एंड डेट), लॉजिकल फक्शंन (इफ, एंड ओर नॉट), फॅार्मूला, ग्राफ, फिल एंड फ़्लैश फिल, सॉर्टिंग, एडवांस फ़िल्टर, लुकअप, डेटा वेलिडेशन, कंडिशनल फॉरमेटिंग, डेटा एनॉलिसिस यूजिंग पीवोट टेबल, क्रीएटिग पावर पीवोट, वट इफ एनालिसस, रिकॉर्डिंग मैक्रोज़, प्रिंट या सेव करने के लिए वर्कशीट एंड वर्कबुक कॉन्फ़िगर करना।

III. एक्सेस 2019 **20 अंक**

डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करना, विभिन्न डेटा प्रकार की, फॉरमेटिंग, कैप्शन, वेलिडेशन रूल, वेलिडेशन टैक्सट, इन्डेक्स इत्यादि, दो से ज्यादा डेटाबेस के बीच विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप क्रिएिट करना, दो संबंधित डेटाबेस के बीच लिंक के लिए प्राइमरी/फॉरैन की का प्रयोग, सिगंल और मल्टीपल टेबल से डेटा एक्शट्रैक्ट करना, एंड/और क्राइटिरिया अप्लाई करना, रिकॉर्ड जोड़ने से सीधे तौर पर डेटा का इनपुट। डिजाइनिंग क्वेरी सेव/एडिट/डीलीट क्वेरी, एक्सेल से इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट, टैक्सट फाइल, सेव किए गए एक्पोर्ट से इम्पोर्ट, शेयर प्वाइंट। टेबल/क्वेरी के लिए फॉर्म क्रिएट करना, रिपोर्ट टूल प्रयोग कर रिपोर्टों की क्रिएटिंग/फॉरमेटिंग करना।

IV. पावर प्वाइंट 2019 **10 अंक**

प्रेजेन्टेशन बनाना, प्रेजेन्टेशन थीम मॉडिफाई करना, एड एंड एडिट टेक्सट टू स्लाइड, प्रेजेन्टेशन में नई स्लाइड जोड़ना, स्लाइडों में क्लिपआर्ट इमेज और शेप डालना, टेबल और चार्ट इंसर्ट/मॉडिफाई करना, स्लाइड प्रेजेन्टेशन में साउंड और विडियों डालना, एनिमेशन डालना और एडिट करना और स्लाइड ट्राजिशंन, डिस्पले ए स्पीकर-लीड एंड सेल्फ-रनिंग प्रेजेन्टेशन, प्रिंट/सेव स्लाइड।

समूह- I

पीसी-4: वित्तीय नियम, सेवा नियमावली और सरकारी लेखाओं के बुनियादी सिद्धांत और सीपीडब्ल्यूए

(सिविल लेखा, सिविल लेखापरीक्षा और स्थानीय लेखापरीक्षा)

अवधि: 2 घंटे ***अधिकतम अंक: 100***

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी आधारित होंगे

उद्देश्य:

उम्मीदवार के सेवा नियमों के ज्ञान, सरकारी लेखों के बुनियादी सिद्धांतों की समझ, सामान्य वित्तीय नियमावली और राज्यों के वार्षिक लेखों की तैयारी में उनको लागू करने की जांच करना।

भाग I. सेवा नियमावली और विनियम **भारांक: 15%**

पाठ्यक्रम

निम्नलिखित नियमों और विनियमों के प्रावधान:

1. मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली (भाग I):- निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान:
   (क) सेवा की सामान्य शर्तें
   (ख) वेतन, वेतन में वृद्धि और वेतन निर्धारण
   (ग) बर्खास्तगी, निष्कासन और निलंबन
   (घ) सेवानिवृत्ति
   (ङ) प्रथम नियुक्ति पर स्वस्थता (फिटनेस) का चिकित्सा प्रमाण पत्र
2. मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली (भाग II): यात्रा भत्ता नियमावली
3. मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली (भाग III): सीसीएस (अवकाश) नियमावली 1972
4. केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यभार ग्रहण समय) नियमावली
5. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली)
6. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली
8. सीसीएस पेंशन नियमावली 1972
9. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना)

भाग II. सामान्य वित्तीय नियमावली **भारांक: 15 %**

पाठ्यक्रम

1. केंद्र सरकार लेखा (प्राप्तियां और भुगतान) नियमावली ,1983.
2. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 *(अध्याय 1,2,3,4,5,7,9,10,11 और 12)*
3. *वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978*

भाग III. सिविल लेखे **भारांक: 70 %**

पाठ्यक्रम

1. सरकारी लेखा नियमावली, 1990- लेखा प्रणाली की सामान्य रूपरेखा पर अध्याय
2. महालेखाकार के लिए लेखा कोड
3. केंद्र और राज्य सरकारों की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची
4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्थायी आदेश नियमपुस्तिका (ले एवं हक) खंड-I (अध्याय 3,4,5,6,7,10,11,16,17,19 और 20)
5. *नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्थायी आदेश नियमपुस्तिका (ले एवं हक) खंड- II (अध्याय 1 और 2)*
6. लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी सिविल लेखा नियमपुस्तिका (संशोधित दूसरा संस्करण 2007)
   (अध्याय 1-पैराग्राफ संख्या 1.2, 1.4, 1.12, अध्याय 4-पैराग्राफ संख्या 4.6, 4.7, 4.8 और परिशिष्ट 'बी' अध्याय 5-पैराग्राफ संख्या 5.15 और अनुलग्नक 'सी', पैराग्राफ संख्या 7.16 को छोड़कर अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 10-पैराग्राफ संख्या 10.3, 10.4, 10.9 और अनुलग्नक 'ए' अध्याय 16-पैराग्राफ 16.1 अध्याय17-पैराग्राफ 17.7 और 17.10)
7. परिशिष्ट के साथ केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता
8. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्थायी आदेश नियमपुस्तिका (ले एवं हक) खंड-I *(अध्याय 8- लोक निर्माण के लेखे और अध्याय 9-वन लेखे)*
9. सीपीडब्ल्यूए कोड में संदर्भित प्रपत्रों की पुस्तक

संदर्भ पुस्तकें:

1. केंद्रीय सेवाओं के लिए मौलिक नियमावली और पूरक नियमावली भाग I, II और III
2. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली)
3. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
4. मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली - भाग IV: महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और मकान किराया भत्ता
5. केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यभार ग्रहण समय) नियमावली

6. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली
7. सीसीएस पेंशन नियमावली 1972
8. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना)
9. सामान्य वित्तीय नियमावली 2017
10. केंद्र सरकार लेखा(प्राप्तियां और भुगतान) नियम 1983
11. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (डीएफपीआर) 1978
12. लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रकाशित सरकारी लेखाकरण नियमावली 1990
13. कोषागारों के लिए लेखांकन नियमावली 1992
14. महालेखाकार के लिए लेखा कोड
15. लेखा कोड खंड III
16. संघ और राज्यों के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची (एलएमएमएच)
17. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (ले एवं हक) खंड I, II और III
18. सिविल लेखा नियमपुस्तिका, वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी
19. व्यय विभाग, भारत सरकार
20. के.लो.नि.वि निर्माण कार्य नियमपुस्तिका 2014
21. सी पी डब्ल्यू ए संहिता में संदर्भित प्रपत्रों की पुस्तक

समूह - I

संशोधित पीसी 5: विज्ञीय नियम, सेवा नियम और रक्षा लेखा के सिद्धांत

अवधि: 2 घंटे ***अधिकतम अंक : 100***

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी आधारित होंगे

उद्देश्य:

क. सामान्य रूप से केंद्रीय सेवाओं और विशेष रूप से रक्षा सेवाओं से संबंधित सेवा नियमों और विनियमों की समझ का परीक्षण करना

ख. वित्तीय नियमों, विनियमों और उनके प्रतिनिधिमंडल की समझ का परीक्षण करना

ग. सामान्य रूप से सरकारी लेखांकन की समझ और विशेष रूप से रक्षा लेखांकन के सिद्धांतों का परीक्षण करना

विस्तृत पाठ्यक्रम:

I. सामान्य रूप से केंद्रीय सेवाओं और विशेष रूप से रक्षा सेवाओं से संबंधित सेवा नियम और विनियम

II. वित्तीय नियम, विनियम और उनका प्रतिनिधिमंडल

III. सामान्य रूप से सरकारी लेखा और विशेष रूप से रक्षा लेखांकन के सिद्धांत

खंड I: सामान्य रूप से केंद्रीय सेवाओं और विशेष रूप से रक्षा सेवाओं से संबंधित सेवा नियम और विनियम

[40 प्रतिशत]

निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान

1. सेवा मामलों पर नियमों और निर्देशों के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को शासित करने वाले सरकारी नियम और विनियम
2. सशस्त्र बलों के अधिकारी रैंक से नीचे के अधिकारियों और कर्मियों के लिए वेतन नियम
3. सशस्त्र बलों के अधिकारी रैंक से नीचे के अधिकारियों और कर्मियों के लिए वेतन और भत्ते विनियम
4. सशस्त्र बल कर्मियों के लिए अवकाश नियम
5. सशस्त्र बलों के अधिकारी रैंक से नीचे के अधिकारियों और कर्मियों के लिए पेंशन विनियम
6. सशस्त्र बल कर्मियों के लिए यात्रा विनियम

पठन सामग्री/ पठन / सुझाव सूची:

1. मौलिक नियम और अनुपूरक नियम - भाग I: सामान्य विनियम
2. मौलिक नियम और अनुपूरक नियम- भाग III: सीसीएस (अवकाश) नियम 1972
3. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम)
4. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली

5. सेना अधिकारी वेतन नियमावली 2017
6. सेना वेतन नियमावली 2017
7. सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख को संबोधित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्रांक 1 (16)/2017/डी (वेतन सेवाएं) दिनांक 18.09.2017
8. वायु सेना अधिकारी वेतन नियमावली, 2017
9. वायु सेना वेतन नियमावली, 2017
10. नौसेना अधिकारी वेतन विनियमावली 2017
11. नौसेना वेतन विनियमावली 2017
12. सेना के (अधिकारी) वेतन और भत्ते विनियमावली (संशोधित संस्करण 1954)
13. सेना के लिए जेसीओ, ओआर और गैर-लड़ाकू के लिए वेतन और भत्ते विनियम (संशोधित संस्करण 1979)
14. सेवा खंड I (सेना) 2018 के लिए अवकाश नियमावली
15. नौसेना (वेतन और भत्ते) विनियमावली 1966
16. नौसेना अवकाश विनियमावली 2019
17. आई.ए.एफ. (संशोधित संस्करण) 1955 के लिए वेतन और भत्ते विनियमावली
18. सेवा खंड III (वायु सेना) 1954 के लिए अवकाश नियमावली
19. सेना के लिए पेंशन विनियमावली, भाग -1 (2008)
20. सेना के लिए पेंशन विनियमावली, भाग - II (2008)
21. वायु सेना के लिए पेंशन विनियमावली (1961), भाग -1
22. वायु सेना के लिए पेंशन विनियमावली (1961), भाग - II
23. नौसेना (पेंशन) विनियमावली, 1964
24. रक्षा सेवा विनियमावली - यात्रा विनियमावली

खंड II: वित्तीय नियमावली, विनियमावली और उनका प्रत्यायोजन [30 प्रतिशत]

निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान:

1. सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों से निपटने वाले भारत सरकार के नियम और आदेश
2. माल, कार्यों की अधिप्राप्ति और परामर्शदाताओं की भर्ती के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं
3. वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित नियमावली
4. भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, इन निधियों से भुगतान और निकासी को विनियमित करने वाले नियम
5. भारत के सार्वजनिक खाते में सार्वजनिक धन की अभिरक्षा, भुगतान और निकासी से संबंधित नियम
6. सरकारी मंत्रालयों और विभागों से संबंधित लेनदेन के लिए नियम
7. रक्षा सेवाओं से संबंधित वित्तीय विनियम
8. रक्षा सेवाओं से संबंधित अधिप्राप्ति शक्तियों की अनुसूची

<u>पठन सामग्री/सुझाई गई पठन सामग्री:</u>

1. सामान्य वित्तीय नियमावली 2017
2. निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए मैनुअल (जून 2022)
3. माल की अधिप्राप्ति के लिए मैनुअल (जून 2022)
4. परामर्श और अन्य सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मैनुअल (जून 2022)
5. वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978
6. केंद्र सरकार लेखा (प्राप्ति और भुगतान) नियमावली 2022 और केंद्र सरकार लेखा (प्राप्ति और भुगतान) नियमावली, 2022 के लिए अनुषंगी निर्देश
7. डीएसआर-वित्तीय विनियम भाग I (खंड I) संशोधित संस्करण 1983
8. डीएसआर-वित्तीय विनियम भाग II (संशोधित संस्करण 1968) (पुनर्मुद्रण 1988)
9. डीएफपीडीएस 2021

खंड III: सामान्य रूप से सरकारी लेखा और विशेष रूप से रक्षा लेखांकन के सिद्धांत

[30 प्रतिशत]

निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान:

1. सरकारी बजट - अर्थ, उद्देश्य और घटक
2. बजट और निधियों के विनियोजन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
3. सरकारी बजट तैयार करने की प्रक्रिया
4. संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेज
5. सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांत
6. रक्षा लेखा विभाग द्वारा लेखांकन, संकलन, वार्षिक लेखों के समेकन और अंतर-विभागीय/अंतर-सरकारी समायोजनों से संबंधित निर्देश और प्रक्रियाएं
7. रक्षा सेवाओं से संबंधित प्राप्तियों और व्यय (राजस्व लेखा और पूंजीगत व्यय) की बुकिंग के लिए कूट शीर्षों का वर्गीकरण
8. रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के भीतर सिविल संगठनों के संबंध में व्यय की बुकिंग के लिए कूट शीर्षों का वर्गीकरण।

<u>पठन सामग्री/सुझाए गए अध्ययन:</u>

1. एक नजर में बजट सहित बजट दस्तावेज, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक/ अधिनियम आदि जैसे प्रमुख बजट दस्तावेज।
2. सरकारी बजट सिद्धांत और व्यवहार - डॉ. सी. एन. सुदर्शन, प्रस्तावना – श्री टी. एन. चतुर्वेदी

3. सरकारी लेखाकरण नियमावली 1990

4. रक्षा लेखा संहिता (2014 संस्करण)

5. रक्षा सेवाएं वर्गीकरण हैंड बुक,– प्राप्तियां और प्रभार (2014)

6. राजस्व, ऋण और प्रेषण शीर्षों की पुस्तिका (2010))

7. संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों के सामान्य निर्देश (चौथे संस्करण का दूसरा पुनर्मुद्रण)

समूह - I

पीसी -6: वित्तीय नियम, सेवा नियम और डाक और दूरसंचार लेखाओं के बुनियादी सिद्धांत

(वित्त और संचार लेखापरीक्षा)

अवधि: 2 घंटे *अधिकतम अंक: 100*

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी आधारित होंगे

उद्देश्य:

डाक /दूरसंचार विभाग में लेखांकन, सेवा एवं वित्तीय नियमों तथा लेखाओं की तैयारी एवं अनुरक्षण के ज्ञान का मूल्यांकन करना।

विस्तृत पाठ्यक्रम:

I. सेवा नियमावली **30 अंक**

क. मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली:
निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान:
(i) सेवा की सामान्य शर्तें
(ii) वेतन, वेतन परिवर्धन और वेतन निर्धारण
(iii) बर्खास्तगी, निष्कासन और निलंबन
(iv) सेवानिवृत्ति
(v) प्रथम नियुक्ति पर फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र

ख. यात्रा भत्ता नियमावली

ग. सीसीएस (अवकाश) नियमावली 1972

घ. केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यभार ग्रहण समय) नियमावली

ङ. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली)

च. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली

छ. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियमावली

ज. सीसीएस पेंशन नियममावली 1972

झ. परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (नई पेंशन योजना)

II. डाक/दूरसंचार विभाग की वित्तीय नियमावली और लेखांकन प्रक्रियाएं - **40 अंक**

क. सामान्य वित्तीय नियमावली 2017,

ख. केंद्र सरकार की प्राप्ति और भुगतान नियमावली

ग. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि

घ. डाक विभाग/दूरसंचार विभाग की लेखा नियम पुस्तिका

III. डाक/दूरसंचार विभाग के लेखे **30 अंक**

क. डाक, दूरसंचार और सिविल लेखा नियम पुस्तिका के अनुरूप लेखों का अनुरक्षण

ख. विभागों के लेखे तैयार करने के सिद्धांतों की समझ

ग. लेखों का वर्गीकरण और बजट आवंटन के साथ संबंध

<u>पठन सामग्री/सुझाए गए अध्ययन:</u>

1. सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017
2. केंद्र सरकार लेखा (प्राप्ति और भुगतान नियमावली) 1983
3. डाक सेवा बोर्ड की वित्तीय शक्तियों की अनुसूची, डाक विभाग नियमावली, 1978
4. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978
5. डाक लेखा नियम पुस्तिका
6. सरकारी लेखा नियमावली, 1990
7. पी एंड टी एफएचबी खण्ड-I और II
8. सिविल लेखा नियमपुस्तिका
9. डाक नियमपुस्तिका खण्ड - II और VI (भाग-II)
10. एस.बी. नियंत्रण युग्मन और आंतरिक जांच संगठन का नियमपुस्तिका
11. डाक घर निर्देशिका (भाग -1 और भाग -4)
12. मुख्य और लघु शीर्ष (एलएमएमएच) की सूची
13. स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (एमएसओ) लेखापरीक्षा
14. मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली - भाग I : सामान्य नियमावली
15. मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली - भाग II : टीए नियमावली
16. मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली - भाग III: सीसीएस (अवकाश) नियमावली 1972
17. मौलिक नियमावली और अनुपूरक नियमावली - भाग IV: महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और मकान किराया भत्ता
18. केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यभार ग्रहण समय) नियमावली
19. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली)
20. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
21. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली
22. सीसीएस पेंशन नियमावली 1972
23. परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (नई पेंशन योजना)

समूह - I

पीसी -7 – रेलवे सेवा नियम, वित्तीय नियमावली और रेलवे लेखा के सिद्धांत
[रेलवे लेखापरीक्षा के लिए]

अवधि: 2 घंटे *अधिकतम अंक: 100*

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी आधारित होंगे

उद्देश्य:

उम्मीदवार के ज्ञान और वित्तीय नियमावली, सेवा नियमावली और रेलवे लेखाओं के सिद्धांतों की समझ की गहराई से जाँच करने हेतु

विस्तृत पाठ्यक्रम और पठन सामग्री

I. सेवा नियमावली (30% भारांक)

रेलवे सेवा, श्रम कानूनों, स्थापना नियमों आदि को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को कवर किया जाएगा। पाठ्यक्रम पूरी तरह से भारतीय रेलवे के अधिनियमों, वैधानिक प्रावधानों और विभागीय प्रकाशनों पर आधारित होगा।

पाठ्यक्रम और पठन सामग्री निम्नानुसार होगी:

सं.	पाठ्यक्रम और पठन सामग्री	टिप्पणियां
1	**रेलवे अधिनियम, 1989**	
1	अध्याय II ए: रेल भूमि विकास प्राधिकरण	निम्नलिखित (4) अध्यायों को हटा दिया गया है: I: प्रारंभिक II: रेलवे प्रशासन XII: दुर्घटनाएँ XIV: काम के घंटे और आराम की अवधि का विनियमन
2	अध्याय III: रेल सुरक्षा आयुक्त	
3	अध्याय IV: निर्माण कार्यों का निर्माण और अनुरक्षण	
4	अध्याय IV ए: एक विशेष रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण	
5	अध्याय V: रेलवे का उद्घाटन	
6	अध्याय VI: दरों का निर्धारण	
7	अध्याय VII: रेलवे दर न्यायाधिकरण	
8	अध्याय VIII: यात्री परिवहन	
9	अध्याय IX: माल की ढुलाई	
10	अध्याय X: अधिसूचित स्टेशनों में बुक किए गए सामान के बारे में विशेष प्रावधान	

11	अध्याय XI: वाहक के रूप में रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारियां	
12	अध्याय XIII: दुर्घटनाओं के कारण यात्रियों की मृत्यु और चोट के लिए रेलवे प्रशासन का दायित्व	
13	अध्याय XV: दंड और अपराध	
14	अध्याय XVI: विविध	
2	**भारतीय रेल स्थापना संहिता, खंड-I**	
1	अध्याय 1: सामान्य	
2	अध्याय 2: सेवा की सामान्य शर्तें	निम्नलिखित (5) अध्यायों को हटा दिया गया है: 3: सेवा की समाप्ति 6: चिकित्सा उपस्थिति और उपचार नियमावली 7: रेल सेवकों के विरुद्ध कानून का मुकदमा 8: स्टाफ लाभ निधि 9: भविष्य निधि नियमावली
3	अध्याय 4: सेवा का विस्तार और सरकारी सेवा में पहले से काम करने वाले व्यक्तियों को पुन: रोजगार	
4	अध्याय 5: अवकाश नियमावली	
5	अध्याय 10: राज्य रेलवे उपदान नियमावली	
6	अध्याय 11: कार्यभार ग्रहण समय नियमावली	
7	अध्याय 12: चोटों और व्यक्तिगत संपत्ति की हानि के लिए मुआवजा	
3	**भारतीय रेल स्थापना संहिता, खंड-II**	
1	अध्याय 13: रेलवे मौलिक नियमावली – वेतन और वेतन वृद्धि	निम्नलिखित अध्याय को हटा दिया गया है: 19: गोपनीय रिपोर्ट (हटाई गई)
2	अध्याय 14: महंगाई और अन्य प्रतिपूरक भत्ते	
3	अध्याय 15: समूह 'सी' और समूह 'डी' रेलवे सेवकों के लिए ओवरटाइम और रनिंग भत्ते	
4	अध्याय 16: यात्रा भत्ता	
5	अध्याय 17: मकान किराया और प्रतिपूरक (शहर) भत्ता	

6	अध्याय 18: सेवानिवृत्ति	
7	अध्याय 20: विदेश सेवा और प्रतिनियुक्ति	
4	**भारतीय रेल स्थापना नियमपुस्तिका, खंड I**	
1	अध्याय 4: अराजपत्रित कर्मचारियों की प्रमुख श्रेणियों पर लागू वेतनमान	निम्नलिखित (7) अध्यायों को हटा दिया गया है: 1: भर्ती, प्रशिक्षण, पुष्टिकरण और पुन: रोजगार 2: अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियम 3: अराजपत्रित रेल सेवकों की वरिष्ठता को विनियमित करने वाले नियम 5: विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित पदों का प्रतिशत 12: नाम में परिवर्तन 14: रेलवे के बाहर पदों के लिए सेवारत रेलवे कर्मचारियों के आवेदनों को अग्रेषित करना 16: छुट्टियां और विशेष आकस्मिक अवकाश
2	अध्याय 6: वेतन, वेतन वृद्धि और दक्षता अवरोध	
3	अध्याय 7: प्रतिपूरक और अन्य भत्ते	
4	अध्याय 8: महंगाई भत्ता	
5	अध्याय 9: रनिंग भत्ता नियमावली	
6	अध्याय 10: बकाया दावा और अधिक भुगतान की वसूली	
7	अध्याय 11: अग्रिम	
8	अध्याय 13: वैकल्पिक रोजगार में चिकित्सकीय रूप से अक्षम कर्मचारियों का समामेलन	
5	**भारतीय रेल स्थापना नियमपुस्तिका, खंड II**	
1	अध्याय XVII: रेलवे क्वार्टर और किराए की वसूली	निम्नलिखित (7) अध्यायों को हटा दिया गया है: XIX: प्रशिक्षु XX: दैनिक मजदूर XXI: स्टाफ कार XXII: स्टाफ कल्याण XXIII: सहकारी समितियां
2	अध्याय XVIII: ऋण के लिए वेतन और भत्ते की कुर्की	
3	अध्याय XXIV: सहायता अनुदान	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>XXV: रेल सेवकों के सेवा संघों की मान्यता के नियम
XXVI: स्टाफ काउंसिल और बातचीत तंत्र</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">रेलवे सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2016</td></tr>
<tr><td>1</td><td>अध्याय IV: परिलब्धियाँ और औसत परिलब्धियाँ</td><td rowspan="4">निम्नलिखित (7) अध्यायों को हटा दिया गया है:
I: प्रारंभिक
II: सामान्य शर्तें
III: अहर्ता सेवा
IX: सेवा में रहते हुए मरने वाले रेल सेवक के संबंध में पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान
X: मृत पेंशनभोगियों के संबंध में पारिवारिक पेंशन और अवशिष्ट ग्रेच्युटी की मंजूरी
XI: पेंशन का भुगतान
XII: विविध</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अध्याय V: पेंशनभोगियों के वर्ग और उनके अनुदान को नियंत्रित करने वाली शर्तें</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अध्याय VI: पेंशन की राशि के विनियमन</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अध्याय VII: पेंशन और उपदान की राशि का निर्धारण और प्राधिकार</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">भारतीय रेलवे प्रशासन और वित्त - एक परिचय</td></tr>
<tr><td>1</td><td>अध्याय III: रेलवे, जनता और संसद</td><td rowspan="5">निम्नलिखित (7) अध्यायों को हटा दिया गया है:
I: भारतीय रेलवे का विकास - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
II: रेलवे प्रबंधन की संरचना और उद्देश्य
IV: कर्मचारी संबंध
VII: पृथक्करण सम्मेलन
IX: रेल परिवहन का अर्थशास्त्र
X: अग्रिम और बकाया दावा
XII: सेवा के अभिलेख</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अध्याय V: प्रबंधन जवाबदेही</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अध्याय VI: इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग - सामान्य अनुप्रयोग</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अध्याय VIII: परिचालन और वित्तीय योजना</td></tr>
<tr><td>5</td><td>अध्याय XI: अस्वीकृति और आपत्तियां</td></tr>
</table>

II. रेलवे वित्तीय नियमावली (20% भारांक)

रेलवे के वित्तीय प्रबंधन और प्रशासन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को कवर किया जाएगा। पाठ्यक्रम पूरी तरह से भारतीय रेलवे के विभागीय प्रकाशनों पर आधारित होगा।

पाठ्यक्रम और पठन सामग्री निम्नानुसार होगी:

सं.	पाठ्यक्रम और पठन सामग्री	टिप्पणियां
8	**भारतीय रेलवे वित्तीय संहिता, खंड I**	
1	अध्याय ii: रेलवे परियोजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन	निम्नलिखित (5) अध्यायों को हटा दिया गया है: i: वित्तीय संगठन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि vi: संविदा के सामान्य सिद्धांत viii: अंतर रेलवे और अंतर विभागीय सेवा ix: अंतर रेलवे और अंतर विभागीय सेवा ('viii' और 'ix' एक ही विषय हैं) x: छोटे आकस्मिक व्यय नकद अग्रदाय
2	अध्याय iii: रेल बजट	
3	अध्यायiv: संसदीय वित्तीय नियंत्रण विनियोग लेखे	
4	अध्याय v: बजटीय और व्यय नियंत्रण वित्त / प्रबंधन रिपोर्टिंग	
5	अध्याय vii: व्यय का आवंटन	
6	अध्याय xi: नकदी, स्टोर या अन्य रेलवे संपत्ति की हानि की रिपोर्टिंग और जांच	
9	**इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेलवे संहिता**	
1	अध्याय III: यातायात सर्वेक्षण	निम्नलिखित (4) अध्यायों को हटा दिया गया है: I: संगठन और प्रशासन II: रेलवे परियोजनाओं की जांच के तरीके IV: अभियांत्रिकी सर्वेक्षण पूर्व परीक्षण, प्रारंभिक और अंतिम स्थान सर्वेक्षण V: इंजीनियरिंग सर्वेक्षण परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट
2	अध्याय VI: निवेश योजना और निर्माण कार्य बजट	
3	अध्याय VII: अनुमान	
4	अध्याय VIII: भूमि अधिग्रहण के नियम	
5	अध्याय IX: भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया	
6	अध्याय X: भूमि की अभिरक्षा, प्रबंधन और निपटान	
7	अध्याय XI: कार्यों का निष्पादन	
8	अध्याय XII: कार्य हेतु संविदा	
9	अध्याय XIII: प्रारंभिक अभिलेख	
10	अध्याय XIV: राजस्व और निर्माण कार्य व्ययों के प्रारंभिक लेखे	

11	अध्याय XVII: रेलवे परियोजनाओं की पूर्णता	
12	अध्याय XVIII: विविध कार्य	
13	अध्याय XIX: भवन और किराया	

III. रेलवे लेखो के सिद्धांत (50% भारांक)

रेलवे लेखों को संचालित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम पूरी तरह से भारतीय रेलवे के विभागीय प्रकाशनों पर आधारित होगा।

पाठ्यक्रम और पठन सामग्री नीचे दी गई होगी:

स.	**पाठ्यक्रम और पठन सामग्री**	**टिप्पणियां**
10	**लेखा विभाग के लिए भारतीय रेलवे संहिता, भाग I**	
1	अध्याय II: रेलवे लेखाओं की संरचना	निम्नलिखित (9) अध्यायों को हटा दिया गया है: I: विभागीय विनियमावली III: रेलवे लेखों का संकलन IV: प्रेषण लेनदेन - भारत V: प्रेषण लेनदेन - भारत से बाहर VII: वार्षिक लेखा और रिटर्न IX: भविष्य निधि लेखा XIII: वेतन सूची की जांच – अधिकारी XIV: वेतन सूची की जांच – स्टाफ XIX: नकदी और वेतन विभाग
2	अध्याय VI: उचंत लेखे	
3	अध्याय VIII: आंतरिक जाँच	
4	अध्याय X: पेंशन भुगतान की आंतरिक जांच	
5	अध्याय XI: बिल	
6	अध्याय XII: स्थापना प्रभारों की जांच - सामान्य	
7	अध्याय XV: वित्त कार्य	
8	अध्याय XVI: विविध व्यय	
9	अध्याय XVII: कार्यकारी कार्यालयों का निरीक्षण	
10	अध्याय XVIII: सुरक्षा जमा	
11	**लेखा विभाग के लिए भारतीय रेलवे संहिता, भाग II**	
1	अध्याय XX: यातायात अर्जन की जांच - परिचयात्मक	निम्नलिखित (1) अध्याय को हटा दिया गया है: XXV: आउट/सिटी बुकिंग एजेंसियों/जेटीबीएस/वाईटीएसके बिलों की जांच
2	अध्याय XXI: यात्री यातायात अर्जन की जांच	
3	अध्याय XXII: अन्य कोचिंग यातायात अर्जन की जांच	

4	अध्याय XXIII: माल यातायात अर्जन की जांच	
5	अध्याय XXIV: दावा न किए गए अधिक प्रभारों का प्रतिदाय और प्रतिदाय सूचियों की जांच आधिक्य प्रभार शीट और मुआवजा दावों की जांच	
6	अध्याय XXVI: माल और पार्सल पर टर्मिनल कर की जांच	
7	अध्याय XXVII: स्टेशन बैलेंस शीट की जांच	
8	अध्याय XXVIII: लेखा कार्यालय डेबिट, और उनकी मंजूरी	
9	अध्याय XXIX: वाहन बिल और लेखा कार्यालय बैलेंस शीट	
10	अध्याय XXX: बिलों के रखरखाव की जांच	
11	अध्याय XXXI: निजी और गैर-सरकारी रेलवे सहित चालू लाइनों के लेखे	
12	अध्याय XXXII: यातायात पुस्तिका	
13	अध्याय XXXIII: स्टेशन लेखों का निरीक्षण	
14	अध्याय XXXIV: रेलवे सामग्री और स्टोर से संबंधित यातायात की जांच	
12	**भारतीय रेलवे वित्तीय कोड, खण्ड II**	
1	राजस्व व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-I)	
2	पूंजी और अन्य कार्य व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-II)	
3	अर्जन का वर्गीकरण (परिशिष्ट-III)	

समूह - I

पीसी -8: वित्तीय नियमावली, सरकार और लोक निर्माण लेखों के बुनियादी सिद्धांत, सेवा नियमावली और लेखाकरण मानक

(वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)

अवधि:2 घंटे ***अधिकतम अंक: 100***

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी आधारित / व्यावहारिक उन्मुख होंगे

उद्देश्य:

वित्तीय नियमावली, सरकारी लेखों के बुनियादी सिद्धांतों, लोक निर्माण लेखों और सरकार, स्वायत्त निकायों और कंपनियों पर लागू लेखाकरण मानकों की परीक्षार्थियों के बुनियादी ज्ञान और समझ का परीक्षण करने हेतु

विस्तृत पाठ्यक्रम:

I. निम्नलिखित नियमों में सरकारी लेखों के वित्तीय नियम और सिद्धांत:

(20 अंक)

क) सरकारी लेखांकन नियमावली, 1990:

–लेखा प्रणाली की सामान्य रूपरेखा पर अध्याय।

ख) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017

ग) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली , 1978

घ) केंद्र सरकार (प्राप्ति और भुगतान) नियमावली, 1983

II. संघ और राज्य सरकारों के वित्त और विनियोग लेखों का परिचय और उनके विवरण **(10 अंक)**

III. केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधान **(20 अंक)**

क. परिशिष्ट के साथ केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता

ख. लेखा संहिता खंड -III

ग. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियमावली (ए एंड ई) खंड -I

-- अध्याय 8 – लोक निर्माण कार्य के लेखे

घ. सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य संहिता, 2019

IV. सेवा नियमावली **(20 अंक)**

निम्नलिखित नियमों और विनियमों के प्रावधान:

1. मौलिक नियम और अनुपूरक नियम:

निम्नलिखित से संबंधित उपबंध:

क. सेवा की सामान्य शर्तें

ख. वेतन और वेतन परिवर्धन एवं वेतन निर्धारण के लिए

ग. बर्खास्तगी, निष्कासन और निलंबन

घ. सेवानिवृत्ति

ङ. प्रथम नियुक्ति पर फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र

2. यात्रा भत्ता नियमावली
3. सीसीएस (अवकाश) नियमावली 1972
4. केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यभार ग्रहण समय) नियमावली
5. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली)
6. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियमावली
8. सीसीएस पेंशन नियमावली 1972
9. परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (नई पेंशन योजना)

V. लेखाकरण मानक: **(30 अंक)**

क. कंपनी (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2021

ख. कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) निम्नलिखित मानकों (समय-समय पर संशोधित) के विशेष संदर्भ में:

(i) इंड एएस 1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

(ii) इंड एएस 2 वस्तु सूची

(iii) इंड एएस 7 नकदी प्रवाह का विवरण

(iv) इंड एएस 8 लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां

(v) इंड एएस 10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद होने वाली घटनाएँ

(vi) इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(vii) इंड एएस 19 कर्मचारी लाभ

(viii) इंड एएस 20 सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण

(ix) इंड एएस 36 परिसंपत्तियों की हानि

(x) इंड एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(xi) इंड एएस 115 ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व

ग. केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखों का एक समान प्रारूप

पठन सामग्री/सुझाई गई अध्ययन सामग्री:

समय-समय पर जारी किए गए नवीनतम संस्करणों और संशोधनों को संदर्भित किया जा सकता है:

1. सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990
2. सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017
3. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978
4. केंद्र सरकार (प्राप्ति और भुगतान) नियमावली, 1983
5. केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता
6. लेखा संहिता खंड-III
7. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग निर्माण नियमावली, 2019
8. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियमावली (एमएसओ) (ए एंड ई) खंड-I और II
9. मौलिक नियम और पूरक नियम - भाग I: सामान्य नियम
10. मौलिक नियम और पूरक नियम- भाग II: यात्रा भत्ता नियम
11. मौलिक नियम और पूरक नियम- भाग III: सीसीएस (अवकाश) नियम 1972
12. मौलिक नियम और पूरक नियम- भाग IV: महंगाई भत्ता, महंगाई राहत और गृह किराया भत्ता
13. केंद्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण समय) नियम
14. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम)
15. केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम
16. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम
17. सीसीएस पेंशन नियम 1972
18. परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (नई पेंशन योजना)
19. कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)।
20. कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021
21. भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखा का एक समान प्रारूप

समूह- II

पीसी 9: बुनियादी वित्तीय लेखांकन और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (वाणिज्यिक)

सिविल लेखा, सिविल लेखापरीक्षा और स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, रक्षा लेखापरीक्षा, वित्त और संचार लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा

अवधि : 2 घंटे *अधिकतम अंक: 100*

प्रश्न मुख्य रूप से प्रकरण अध्ययन आधारित / व्यावहारिक होंगे

उद्देश्य:

लेखांकन के मूल सिद्धांतों और अवधारणाओं की उम्मीदवार की समझ का परीक्षण करना और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनका विश्लेषण करने में इसे लागू करना

विस्तृत पाठ्यक्रम:

I. वित्तीय लेखांकन: **(70 अंक)**

1. वित्तीय लेखांकन: प्रकृति और कार्यक्षेत्र, वित्तीय लेखांकन की सीमाएँ, बुनियादी अवधारणाएँ और परंपराएँ, आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी)
2. लेखांकन प्रक्रिया: लेन-देन के अभिलेखन से लेकर वित्तीय विवरण तैयार करना, मूल प्रविष्टि की बहियां, जर्नल, लेजर, बैंक समाधान विवरण तैयार करना, ट्रायल बैलेंस और त्रुटियों का सुधार
3. मूल्यह्रास, प्रावधान और भंडार
4. एकल स्वामित्व वाली फर्मों, गैर-लाभकारी संगठनों के अंतिम लेखे
5. संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लेखे - शेयर पूंजी और उधार के लिए लेखांकन, अंतिम लेखे तैयार करना
6. वित्तीय विवरणों का विश्लेषण: अनुपात विश्लेषण, सामान्य आकार के विवरण, तुलनात्मक विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण, निधि प्रवाह विश्लेषण/विवरण, नकदी प्रवाह विश्लेषण/विवरण

II. लेखांकन मानक: **(30 अंक)**

(क) निम्नलिखित मानकों (समय-समय पर संशोधित) के विशेष संदर्भ में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का परिचय:

एएस-1: लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण
एएस-2: मालसूची का मूल्यांकन
एएस-3: नकदी प्रवाह विवरण
एएस-4: बैलेंस शीट की तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं
एएस-5: दी गई अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन
एएस-9: राजस्व मान्यता
एएस-10: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
एएस-12: सरकारी अनुदानों का लेखांकन
एएस-15: कर्मचारी लाभ
एएस-28: संपत्ति की क्षति
एएस-29: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

(ख) केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों का समान प्रारूप

<u>पठन सामग्री/सुझाव:</u>

<u>वित्तीय लेखांकन:</u>

1. टी.एस. ग्रेवाल द्वारा लेखांकन का परिचय
2. आर.एल. गुप्ता और वी.के. गुप्ता द्वारा लेखांकन के सिद्धांत और अभ्यास।
3. एस.एन. माहेश्वरी द्वारा वित्तीय लेखांकन
4. भूषण कुमार गोयल द्वारा मूल वित्तीय लेखांकन
5. एल. कथबर्ट क्रॉपर द्वारा मूल बुक-कीपिंग एंड अकाउंट्स

<u>लेखांकन मानक:</u>

1. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का संग्रह
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों का समान प्रारूप

समूह- II

पीसी 10: उन्नत लेखा और लागत एवं प्रबंधन लेखांकन

(वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)

अवधि : 2 घंटे *अधिकतम अंक: 100*

प्रश्न मुख्य रूप से प्रकरण अध्ययन आधारित /व्यावहारिक होंगे

उद्देश्य:

निम्न में उम्मीदवार के ज्ञान और समझ की जांच:

(1) विभिन्न लेखांकन अवधारणाओं, प्रथाओं और मानकों और उन्हें वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में और वित्तीय विवरणों के विभिन्न तत्वों के बीच अंतर-संबंधों का विश्लेषण करने में लागू करना हैं।

(2) लागत लेखांकन अवधारणाएं, लागत के तत्व, लागत विधियां, तकनीक और प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए उनका अनुप्रयोग

विस्तृत पाठ्यक्रम:

खंड I -उन्नत लेखा ***(60 अंक)***

1. लेखांकन की मूल अवधारणाएँ: एकल और दोहरी प्रविष्टि, लेखांकन अवधारणाएँ और परंपराएँ, मूल प्रविष्टि की बहियां, बैंक समाधान, जर्नल, बही खाता, ट्रायल बैलेंस, त्रुटियों का सुधार, पूंजी और राजस्व व्यय के बीच अंतर
2. विनिमय के बिल
3. मूल्यह्रास लेखांकन
4. इन्वेंटरी का मूल्यांकन
5. समायोजन और समापन प्रविष्टियां, विनिर्माण, व्यापार, लाभ और हानि तथा लाभ और हानि विनियोग लेखे, बैलेंस शीट
6. गैर-लाभकारी संगठनों के लेखे-प्राप्तियां और भुगतान और आय और व्यय लेखे और बैलेंस शीट
7. बीमा दावे
8. अपूर्ण अभिलेखों से लेखा
9. रॉयल्टी और लीज लेखे
10. समेकित वित्तीय विवरण सहित कंपनी लेखे
11. विशिष्ट संस्थाओं के लेखे: सार्वजनिक उपयोगिता उद्यम-- विद्युत अधिनियम (विद्युत उपयोगिताओं) द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप
12. शाखा और विभागीय लेखे
13. अंतरिम रिपोर्टिंग, खंड रिपोर्टिंग की अवधारणाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
14. संयुक्त उद्यमों के लिए लेखांकन
15. वित्तीय विवरणों का विश्लेषण: अनुपात विश्लेषण, सामान्य आकार के विवरण, तुलनात्मक विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण, निधि प्रवाह विश्लेषण/विवरण, नकदी प्रवाह विश्लेषण/विवरण

खंड II—लागत और प्रबंधन लेखा ***(40 अंक)***

1. लागत लेखांकन अवधारणाएं
2. प्रधान लागत: सामग्री, श्रम और प्रत्यक्ष व्यय
3. उपरीव्यय- फैक्ट्री उपरिव्यय, कार्यालय और प्रशासन ओवरहेड्स, विक्रय एंड वितरण उपरीव्यय
4. लागत लेखांकन में लेखा बहियां
5. लागत लेखा अभिलेख नियम
6. लागत और वित्तीय लेखा का मिलान
7. कार्य, बैच और संविदा लागत
8. प्रक्रिया लागत, संचालन लागत और परिचालन लागत
9. उत्पादन लेखा और लागत पत्रक
10. सीमांत लागत, विभेदक लागत और लागत मात्रा लाभ संबंध
11. विचलन विश्लेषण सहित मानक लागत
12. पूंजीगत बजट निर्धारण और रियायती नकदी प्रवाह तकनीक

पठन सामग्री / सुझाव

उन्नत लेखा तथा लागत और प्रबंधन लेखा:

1. आर एल गुप्ता द्वारा उन्नत लेखा।
2. शुक्ला, ग्रेवाल और गुप्ता द्वारा उन्नत लेखा
3. एस.पी.जैन और के.एल. नारंग द्वारा उन्नत लेखांकन
4. करीम द्वारा उन्नत लेखा
5. भूषण कुमार गोयल द्वारा मूल वित्तीय लेखांकन
6. कंपनी अधिनियम, 2013।
7. विद्युत अधिनियम द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप
8. सक्सेना और वशिष्ठ द्वारा उन्नत लागत लेखांकन
9. एस.पी. जैन और के.एल. नारंग द्वारा उन्नत लागत लेखा।
10. एन. के. प्रसाद द्वारा लागत लेखांकन के सिद्धांत और अभ्यास
11. भारत सरकार द्वारा जारी लागत लेखा अभिलेख नियम
12. भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागत लेखापरीक्षा मानक

समूह- II

पीसी 11- उन्नत सरकारी लेखा और सरकारी लेखा मानक

(सिविल लेखा)

अवधि: 2 घंटे **अधिकतम अंक: 100**

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी आधारित होंगे

उद्देश्य:

1. राज्यों के वित्तीय विवरणों/वार्षिक लेखों की समझ की जांच करना
2. डिजिटल वातावरण में लेखांकन के ज्ञान का निर्धारण करना
3. प्राकृतिक संसाधन लेखांकन और परिसंपत्ति लेखा तैयार करने की अवधारणा की समझ का मूल्यांकन करना
4. गसब द्वारा जारी सरकारी लेखा मानकों और नकद आधारित अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानकों (आईपीएसएएस) के ज्ञान का निर्धारण करना

विस्तृत पाठ्यक्रम:

क. वित्त और विनियोग लेखे और सीएफआरए का परिचय:

(भारांक 20%)

(i) लेखा तैयार और जमा करने के लिए समय सारिणी और निर्देश

(ii) विनियोग लेखों के प्रपत्र, व्यय में कमी आदि में लेखों में समायोजित वसूलियों के संबंध में अनुमानों और वास्तविक का अनुदान-वार विवरण दर्शाने वाले विवरण का प्रपत्र।

(iii) वित्त लेखों में शामिल विवरणों, परिशिष्टों आदि का प्रपत्र

(iv) लेखा की संवीक्षा में आई.टी.ए. द्वारा की जाने वाली जांच सहित लेखे तैयार/संकलित करते समय प्रयोग की जाने वाली सामान्य जांच

(v) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को मसौदा लेखों की प्रस्तुति

(vi) विषय की महत्ता सहित ए.जी. (ए एंड ई) का प्रमाण पत्र और एजी (लेखापरीक्षा) का प्रमाण पत्र

(vii) लेखा की छपाई, बॉन्ड प्रतियों को सीएजी को अग्रेषित करने आदि में पालन किए जाने वाले निर्देश।

(viii) सीएफआरए के संकलन के बारे में अधिदेश और विवरण, अवलोकन और दृश्य प्रस्तुति - सीएफआरए डैशबोर्ड

ख राज्य महालेखाकार द्वारा लेखों के संकलन में प्रक्रियाएं

(भारांक -30%)

(i) भारत के संविधान में प्रदान किए गए और सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 में निर्धारित लेखा के संकलन के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां

(ii) शक्तियों का प्रत्यायोजन

(iii) लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में सामान्य निर्देश

(iv) ऋण जमा और प्रेषण लेनदेन, शेष राशि की समीक्षा
(v) भविष्य निधि, पेंशन और राजपत्रित पात्रता का रखरखाव
(vi) बजट समीक्षा और राज्य एफआरबीएम लक्ष्यों का परिचय और लेखों के संकलन, समर्पण, पुनर्विनियोग आदेश आदि के दौरान इसका अनुप्रयोग।

ग. लेखों में डिजिटल वातावरण: (भारांक -20%)

(i) कोषागारों के कामकाज की बुनियादी समझ
अ. राज्यों में कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण और आईएफएमएस का परिचय, जिसमें बुनियादी मॉड्यूल शामिल हैं (*विभिन्न राज्य आईएफएमएस परिपक्वता के विभिन्न चरणों में हैं)। इनमें बजट मॉड्यूल, डीडीओ/ट्रेजरी मॉड्यूल, मानव संसाधन प्रबंधन मॉड्यूल, ई-प्राप्ति/भुगतान मॉड्यूल, एजी मॉड्यूल और संबंधित राज्य के लिए अन्य विशिष्ट मॉड्यूल शामिल हैं।
(ii) आरबीआई के साथ लेनदेन जिसमें नकद शेष में अंतर, ई- प्राप्ति का प्रवाह और रिजर्व बैंक जमा (आरबीडी) का समाधान और विभिन्न ब्याज वाले रिजर्व फंड का लेखा-जोखा शामिल है।
(iii) ट्रेजरी निरीक्षण में चेकलिस्ट सहित पालन किया जाने वाला ई-वातावरण
(iv) पीएफएमएस का परिचय और वित्त लेखा के प्रासंगिक विवरणों/परिशिष्टों के लिए पीएफएमएस से इनपुट
(v) ई-कुबेर - ई-कुबेर के माध्यम से आरबीआई के सरकारी भुगतान/संवितरण और विफल लेनदेन सहित ट्रेजरी, डीडीओ, एजेंसी बैंकों और महालेखाकार की भूमिका

घ. प्राकृतिक संसाधन लेखे और परिसंपत्ति लेखा तैयार करना: (भारांक-10%)

(i) प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित सतत विकास लक्ष्य

(ii) संयुक्त राष्ट्र-पर्यावरण-आर्थिक लेखा प्रणाली 2012- केंद्रीय ढांचा (एसईईए केंद्रीय ढांचा) - परिचय, संसाधनों का लेखा-जोखा, लेखांकन के लिए भारत के संक्षिप्त सूची वाले खनिज

(iii) पंचामृत का परिचय - सीओपी26, भारत की प्रतिबद्धता- राष्ट्रीय घोषणा

(iv) संसाधनों पर कर लगाने और परिसंपत्ति लेखे तैयार करने का आदेश

(v) परिसंपत्ति लेखा - तालिका व साँचे

ङ सरकारी लेखाकरण मानक तथा नकद आधारित आईपीएसएएस: (भारांक -20%)

(i) सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) का गठन, बोर्ड की संरचना और उत्तरदायित्व
(ii) गसब द्वारा तैयार किए गए भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) लेखांकन की नकद प्रणाली के लिए हैं और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, द्वारा उनकी अधिसूचना के बाद प्रभावी तिथि से अनिवार्य हो जाते हैं। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आईजीएएस 1, 2 और 3 तथा राज्यों के वित्त लेखों में उनका अनुपालन।
(iii) अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानक बोर्ड (आईपीएसएएसबी) द्वारा जारी नकद आधारित अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानक (आईपीएसएएस) - परिचय
(iv) भारत में प्रोद्भवन लेखांकन का परिचय - नकदी आधारित लेखांकन की सीमाएं और प्रोद्भवन लेखांकन के लाभ

पठन सामग्री / सुझाए गए अध्ययन:

1. सीएजी की स्थायी आदेश नियमावली, खंड I और II (खंड I के अध्याय 1,5,10,11,12,13 और 19 और

संपूर्ण खंड II)

2. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सिविल लेखा नियमावली (अध्याय 5 और 8)
3. महालेखाकारों के लिए लेखा कोड (संकलन की प्रक्रिया, एमसीए की तैयारी और सरकारी लेखों के रूपों को छोड़कर सभी अध्याय)
4. पी. मुथुस्वामी द्वारा भारत सरकार के लेखों और लेखापरीक्षा का परिचय (सामान्य पठन)
5. सरकारी लेखांकन - आर रामनाथन द्वारा सिद्धांत और व्यवहार (सामान्य पठन)
6. कोषागारों के लिए लेखांकन नियम, 1992
7. सरकारी लेखा नियम, 1990 (अध्याय 4,5,6 और 7)
8. www.cag.gov.in पर उपलब्ध राज्य सरकारों के वित्त लेखे (विवरणों/परिशिष्टों के प्रारूप के लिए)
9. विभिन्न राज्यों द्वारा जारी सीजीए और आईएफएमएस द्वारा जारी पीएफएमएस की टूलकिट
10. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ई-कुबेर से संबंधित दस्तावेज और दिशानिर्देश
11. जीए विंग द्वारा संख्या 1112/जीए-143/2020 दिनांक 22/10/2020 द्वारा जारी ई-पर्यावरण (पोस्ट आईएफएमएस) में ट्रेजरी निरीक्षण पर दिशानिर्देश
12. लक्ष्य को प्राप्त करना- जनसंख्या और एसडीजी (लक्ष्य 6,7,12,13,14 और 15)
13. संयुक्त राष्ट्र पर पेपर - पर्यावरण-आर्थिक लेखा प्रणाली 2012- केंद्रीय ढांचा (एसईईए केंद्रीय ढांचा) (अध्याय 1 से 5)
14. पंचामृत सीओपी26 _प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय घोषणा
15. गसब द्वारा भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर अवधारणा पत्र (अध्याय 9 और 10)
16. राज्यों में खनिज और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखांकन पर टेम्पलेट (अध्याय 6 और 7)
17. सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) द्वारा जारी भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) (आईजीएएस 1, 2 और 3 www.gasab.in पर उपलब्ध है)

समूह- II

पीसी-12: निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा

(सिविल लेखो को छोड़कर सभी शाखाएं)

अवधि: 2 घंटे ***अधिकतम अंक : 100***

प्रश्न मुख्य रूप से केस अध्ययन पर आधारित होंगे

उद्देश्य:

इस पत्र का उद्देश्य यह आकलन करना है कि उम्मीदवार को किस सीमा तक संकल्पना, अभिकल्प, संचालन और निष्पादन तथा अनुपालना लेखापरीक्षा में ज्ञान तथा कौशल प्राप्त हुआ हैं।

दिशानिर्देश, नियमावली, और अन्य सामग्री

- सीएजी के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश
- सीएजी के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश
- आईडीआई की निष्पादन लेखापरीक्षा आईएसएसएआई कार्यान्वयन पुस्तिका (नवीनतम संस्करण, इसके परिशिष्ट सहित - वर्तमान में V1)
- आईडीआई की अनुपालन लेखापरीक्षा आईएसएसएआई कार्यान्वयन पुस्तिका नवीनतम संस्करण (वर्तमान में V1)
- सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसएसएआई) 300, 400, 3000 और आईएसएसएआई 4000
- सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन संरचना दिशानिर्देश
- सीएजी के स्थायी आदेशों की नियमपुस्तक (लेखापरीक्षा)
- बजट दस्तावेज

विस्तृत पाठ्यक्रम (उपरोक्त नियमपुस्तक और दिशानिर्देशों से संबंधित)
निष्पादन लेखापरीक्षा (भाग 1): 40-60 अंक

- मूल सिद्धांत,
- नीतिगत योजना प्रक्रिया
- शीर्षक चयन
- प्रायोगिक अध्ययन,
- लेखापरीक्षा के उद्देश्य, दृष्टिकोण, कार्यक्षेत्र, मानदंड एवं कार्यप्रणाली तथा हितधारकों को शामिल करना
- लेखापरीक्षा के जोखिम तथा आश्वासन
- लेखापरीक्षा अभिकल्प मैट्रिक्स, लेखापरीक्षा निष्कर्ष मैट्रिक्स,
- साक्ष्य एकत्र करने और विश्लेषण करने सहित लेखापरीक्षा का संचालन
- कारण और प्रभाव निर्धारण

- निष्कर्ष, समाप्तियाँ और सिफारिशें
- सूचना तथा संचार शैली
- लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती कार्रवाई
- लेखापरीक्षा निष्कर्ष, परिणाम तथा प्रभाव
- निर्गत - परिणाम रूपरेखा और परिणाम बजट
- आगत - निर्गत नमूना तथा तीन अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावकारिता
- कार्यक्रमों/योजनाओं और उनके संकेतकों के लिए निर्गत और परिणाम
- कार्यों और निगरानी का पृथक्करण: यह जांचने के लिए कि सरकार द्वारा अलग-अलग कार्यों- खरीद, आपूर्ति, विनियमन, वित्तपोषण आदि - को अलग किया गया है या नहीं
- डेटा विश्लेषण तकनीक और मानसिक चित्रण:
    - प्रतिगमन विश्लेषण
    - परेटो विश्लेषण
    - महत्वपूर्ण कारकों की पहचान और उनकी गंभीरता के अनुरूप व्यय
    - आकस्मिक विश्लेषण
- नीतियों और प्रक्रियाओं का संरेखण: मूल्यांकन करें कि पारिस्थितिकी तंत्र - प्रक्रिया, दिशानिर्देश, नीतियां, कार्यक्रम - लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं

पैटर्न/सुझाए गए प्रश्नों का प्रकार: कुल मिलाकर 25% -40% (40-60 अंकों के लिए) अंक एमसीक्यू के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षक विषय सम्बंधी प्रश्न शामिल कर सकते हैं।

शेष भाग तीन-पांच केस स्टडी (पीए प्रतिवेदन) हो सकते हैं, जिसके बाद व्यावहारिक ज्ञान और कौशल का परीक्षण करने के लिए प्रति केस स्टडी से 10-15 संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। पीए रिपोर्ट को विभिन्न क्षेत्रों - सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा), अवसंरचना (परिवहन, विद्युत), पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, वित्तीय, उद्योग और कॉर्पोरेट मामलों से चुना जा सकता है। एक केस स्टडी परिणाम-आधारित लेखापरीक्षा पर हो सकती है। हम डेटा विश्लेषण का उपयोग करके प्रभाव मूल्यांकन की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। परीक्षार्थी को केस स्टडी में सुधार की गुंजाइश का सुझाव देने का हक भी दिया जा सकता है।

<u>अनुपालन लेखापरीक्षा (भाग II): 40-60 अंक</u>

- अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए साई की संगठनात्मक आवश्यकताएं
- अनुपालन लेखापरीक्षा के विस्तार हेतु वार्षिक लेखापरीक्षा योजना
- अनुपालन लेखापरीक्षा योजना
- मुख्य क्षेत्रों की पहचान, नागरिक केंद्रित मुद्दे और अननुपालन का प्रभाव (तो क्या?)
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं साक्ष्य एकत्र करना तथा उनका मूल्यांकन करना
- रिपोर्टिंग तथा अनुवर्ती अनुपालन लेखापरीक्षा
- अनुपालन लेखापरीक्षा का दस्तावेज़ीकरण
- अन्य विषयों में लेखापरीक्षा जोखिम, लेखापरीक्षा दृष्टिकोण, लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, गुणवत्ता नियंत्रण, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करना तथा रचनात्मक एवं व्यावहारिक अनुशंसाएं शामिल हैं।

पैटर्न/सुझाए गए प्रश्नों का प्रकार: कुल 25% -40% (40-60 अंक के लिए) अंक एमसीक्यू के माध्यम से सैद्धांतिक

ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। सामयिक प्रश्न, विशेषकर माध्यम विशिष्टता वाले, शामिल किए जा सकते हैं।

शेष भाग में दो-चार केस स्टडी (मसौदा पैराग्राफ) हो सकता है, जिसके बाद परीक्षार्थी के ज्ञान और कौशल का परीक्षण करने के लिए प्रति डीपी 8-12 संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। डीपी को विविध क्षेत्रों से चुना जा सकता है और इसमें धोखाधड़ी का पता लगाने एवं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं। परीक्षार्थी को मसौदा पैराग्राफ में सुधार का सुझाव देने का हक भी दिया जा सकता है।

समूह - II

पीसी 13: सरकारी बजट तथा संसाधनों का प्रवाह

(सिविल लेखा)

उद्देश्य

प्रश्न मुख्य रूप से केस अध्ययन पर आधारित होंगे

अवधि: 2 घंटे *अधिकतम अंक : 100*

- सरकारी बजट, बजट प्रक्रिया, बजट दस्तावेजों और उनकी समीक्षा के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए
- सरकारों के लिए राजस्व के विभिन्न स्रोतों, आवंटन, और संघ और/या राज्य सरकारों के बीच संसाधनों/धन के संचालन की समझ का आकलन करना।

विस्तृत पाठ्यक्रम

I. सरकारी बजट (*भारांक - 35 प्रतिशत*)

क. सरकारी बजट - अर्थ, उद्देश्य और घटक

ख. बजट निर्धारण और निधियों के विनियोजन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

ग. सरकारी बजट तैयार करने में शामिल प्रक्रिया

घ. संसद / राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेज

ङ. बजट समीक्षा * निम्नलिखित सहित -

i. बजट-पूर्व संवीक्षा, बजट पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा पिछले वर्ष की गई टिप्पणियां, जिनमें पिछली बजट समीक्षा के दौरान प्रेक्षित टिप्पणियों/महत्वपूर्ण चिंताओं के प्रति प्रतिक्रियाएं शामिल हैं।

ii. पश्च बजट संवीक्षा, वर्गीकरण में सुधार, अनुपूरक बजट की संवीक्षा।

iii. राज्य सरकार द्वारा बाह्य बजट घोषणाओं की समीक्षा

iv. बजट भाषण की समीक्षा

(*राज्य बजट की बजट समीक्षा महालेखाकार लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।)

II. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 (*भारांक – 10 प्रतिशत*)

क. उद्देश्य

ख. एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधान

ग. एफआरबीएम अधिनियम के तहत राजकोषीय नीति विवरण

घ. एफआरबीएम अधिनियम छूट/बचाव खंड

III. सरकारी घाटा (*भारांक - 20 प्रतिशत*)

क. संतुलित/अधिशेष/घाटे का बजट

ख. सरकारी घाटे के उपाय अर्थात, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रारंभिक घाटा आदि और सरकारों के राजकोषीय स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव

ग. आंतरिक और बाह्य ऋण के माध्यम से घाटा प्रबंधन

घ. बजट से बाहर उधार

IV. संसाधनों/निधियों का प्रवाह *(भारांक - 35 प्रतिशत)*

क. संघ और राज्य के लिए राजस्व के स्रोत- संघ/राज्य/समवर्ती सूची

ख. संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध - संवैधानिक प्रावधान

ग. केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों (पूर्व वैधानिक, विवेकाधीन आदि) और/या पंचायती राज संस्थाओं (अतिरिक्त अनुदान आदि) को दी जाने वाली विभिन्न अनुदान सहायता राशि तथा संबंधित संवैधानिक प्रावधान

घ. कर/कर रहित राजस्व का वितरण

ङ. अनुच्छेद 280- वित्त आयोग

च. राज्यों को निधियों के हस्तांतरण/वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित वित्त आयोग की नवीनतम आधारभूत सिफारिशें

<u>पठन सामग्री/पठन सुझाव सूची:</u>

1. बजट और निधियों के विनियोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान- (अनुच्छेद 112-117, 202-207)
2. सरकारी वित्तीय नियम 2017 - अध्याय 3 बजट निरूपण एवं कार्यान्वयन, अध्याय 9- अनुदान सहायता राशि तथा ऋण, अध्याय -10 बजट और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का लेखा तथा अध्याय -11 सरकारी गारंटियां।
3. बजट सहित बजट दस्तावेज़ एक नज़र में, आधारभूत बजट दस्तावेज़ जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की माँग, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक/अधिनियम आदि।
4. सरकारी बजट के सिद्धांत और व्यवहार - डॉ. सी.एन. सुदर्शन, प्रस्तावना - श्री टी. एन. चतुर्वेदी द्वारा
5. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003
6. केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 268-281, 282-291)
7. नवीनतम वित्त आयोग की रिपोर्ट
8. वित्त आयोग की नवीनतम प्रतिवेदन में संघ और राज्य सरकारों से संसाधनों के प्रवाह से संबंधित विषयों का अध्ययन अर्थात अनुदान सहायता राशि, जीएसटी का मुआवजा, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय सहायता, ईएपी। एसएनए के गठन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश/आदेश।
9. एमएसओ (ले. व ह.), खंड 1, अध्याय 4
10. बजट समीक्षा के संबंध में सीएजी मुख्यालय द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2022 को जारी जाँच-सूची

समूह - II

पीसी -14: वित्तीय लेखापरीक्षा (सिविल लेखा को छोड़कर सभी शाखाएं)

अवधि: 2 घंटे ***अधिकतम अंक : 100***

प्रश्न मुख्य रूप से केस अध्ययन पर आधारित होंगे

उद्देश्य:

संघ और राज्य सरकार, उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अवधारणा की समझ, कौशल, प्रक्रिया और पद्धति का मूल्यांकन करना तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रमाणन हेतु।

सरकारी बजट के ज्ञान और सरकार के लिए राजस्व के विभिन्न स्रोतों की समझ, संघ और / या राज्य सरकारों के बीच संसाधनों / निधियों के आवंटन और प्रवाह का परीक्षण करना

विस्तृत पाठ्यक्रम

I. वित्तीय लेखापरीक्षा की सामान्य समझ: **40 अंक**

क. लेखांकन प्रक्रिया और लेखों का वर्गीकरण
ख. भौतिकता और लेखापरीक्षा उद्देश्य
ग. संवेदनशीलता और आत्मविश्वास की सीमा
घ. लेखापरीक्षा जोखिम और आश्वासन तथा नियंत्रण का परीक्षण
ङ. विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रक्रियाएं तथा मूल परीक्षण
च. एक लेखापरीक्षा राय बनाना
छ. वित्तीय विवरणों का प्रारूप

I. संघ और राज्य सरकार की वित्तीय लेखापरीक्षा: **40 अंक**

क) विनियोग और वित्त लेखों की लेखापरीक्षा के विभिन्न चरण तथा विवरण
ख) अनुदानों में आधिक्य/बचतों पर टिप्पणियों हेतु उपचार आदेश
ग) वित्त लेखों में एससीटी की संवीक्षा
घ) वित्त लेखों में विवरणों का विश्लेषण
ङ) लेखों की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण आवर्ती मुद्दे
च) सरकारी बजट - अर्थ, उद्देश्य तथा घटक
छ) बजट और निधियों के विनियोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
ज) सरकारी बजट तैयार करने में शामिल प्रक्रिया
झ) संसद/राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत बजट दस्तावेज
ञ) संघ और राज्य के लिए राजस्व के स्रोत-संघ/राज्य/समवर्ती सूची
ट) संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध - संवैधानिक प्रावधान
ठ) केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों (पूर्व-सांविधिक, विवेकाधीन आदि) और/या पंचायती राज संस्थाओं (पूर्व-

संबद्ध अनुदान आदि) और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को दी गई विभिन्न अनुदान सहायताएं

ड) कर/गैर-कर राजस्व का वितरण

ढ) अनुच्छेद 280- वित्त आयोग

ण) राज्यों को निधि के हस्तांतरण/वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित वित्त आयोग की नवीनतम आधारभूत सिफारिशें

त) एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के प्रावधान

II. स्वायत्त निकायों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा: **10 अंक**

क. लेखों का प्रारूप

ख. डीपीसी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

ग. लेखापरीक्षा की योजना, कार्यान्वयन तथा रिपोर्टिंग

घ. सामान्य वित्तीय नियमों के प्रासंगिक प्रावधान

III. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रमाणन: **10 अंक**

क. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के उद्देश्य

ख. लेखों का प्रारूप

ग. प्रमाणन हेतु लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा समय सारिणी

घ. परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समझौते के सामान्य नियम और शर्तें

<u>पठन सामग्री/पठन सुझाव सूची:</u>

i. सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971

ii. सामान्य वित्तीय नियम, 2017

iii. केंद्र सरकार के लेखे (प्राप्ति और भुगतान नियम) 1983।

iv. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम

v. सरकारी लेखा नियम, 1990

vi. सिविल लेखा नियमावली

vii. वित्तीय साक्ष्यांकन लेखापरीक्षा नियमावली

viii. लेखापरीक्षा और लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विनियम

ix. सीएजी द्वारा जारी स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के लिए नियमावली

x. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की लेखापरीक्षा पर सीएजी द्वारा जारी दिशा-निर्देश

xi. स्थायी आदेशों की नियमावली (एमएसओ) लेखापरीक्षा

xii. डीजीए (एफ एंड सी) के कार्यालय द्वारा जारी संघ सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों (सिविल) की लेखापरीक्षा के लिए अभ्यास नोट।

xiii. मुख्य और लघु शीर्षों की सूची (एलएमएमएच)

xiv. बजट और निधि के विनियोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान- (अनुच्छेद 112-117, 202-207)

xv. बजट सहित बजट दस्तावेज़ एक नज़र में, आधारभूत बजट दस्तावेज़ जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की माँग, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक/अधिनियम आदि। ।

xvi. सरकारी बजट के सिद्धांत और व्यवहार - डॉ. सी.एन. सुदर्शन, प्रस्तावना - श्री टी. एन. चतुर्वेदी द्वारा

xvii. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 और समय समय पर संशोधित नियम

xviii. केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन से संबंधित संविधान प्रावधान (अनुच्छेद 268-281, 282-291)

xix. नवीनतम वित्त आयोग की रिपोर्ट

xx. वित्त आयोग के नवीनतम प्रतिवेदन में संघ और राज्य सरकारों से संसाधनों के प्रवाह से संबंधित विषयों का अध्ययन अर्थात अनुदान सहायता राशि, जीएसटी का मुआवजा, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्रीय सहायता, ईएपी। एसएनए के गठन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश/आदेश।

xxi. एमएसओ (ले. व ह.), खंड 1, अध्याय 4

xxii. बजट समीक्षा से संबंधित सीएजी मुख्यालय द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2022 को जारी जाँच-सूची

समूह - II

पीसी -15: हक़दारी प्रकार्य तथा कोषागार निरीक्षण

(सिविल लेखा)

अवधि: 2 घंटे ***अधिकतम अंक : 100***

प्रश्न मुख्य रूप से केस अध्ययन पर आधारित होंगे

उद्देश्य:

सरकारी कर्मचारियों की हक़दारी तथा कोषागार के विभिन्न कार्यों, उनकी प्रकृति और उद्देश्य के बारे में उम्मीदवार की समझ का परीक्षण करना

भाग I:

सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा राजपत्रित सरकारी सेवा हक़दारी

पाठ्यक्रम: **भारांक : 45%**

1. अध्याय-12: सेवा, भविष्य निधि एवं अन्य निधियों का अनुरक्षण (पैराग्राफ 12.2 से पैराग्राफ 12.9 को छोड़कर) (एमएसओ एएंडई-खंड-1)
2. अध्याय -13: राजपत्रित सरकारी सेवा हक़दारी (एमएसओ एएंडई-खंड -1)
3. अध्याय -14: पेंशन (एमएसओ एएंडई-खंड-1)
4. अध्याय -15: पेंशन के भुगतान के लिए प्री-चेक (एमएसओ एएंडई-खंड-1)

भाग II:

कोषागार निरीक्षण **भारांक : 55%**

पठन सामग्री/पठन सुझाव सूची:

1. आईएफएमएस के विभिन्न बजट, व्यय, स्वीकृति, प्राप्तियां, बैंक मॉड्यूल/पैकेज और उनकी परस्पर निर्भरता की सामान्य समझ।
2. कोषागारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आईएफएमएस का प्रक्रिया प्रवाह और प्रत्येक डेटा प्रविष्टि स्क्रीन और रिपोर्ट की सामग्री और उद्देश्य।
3. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के कोषागार निरीक्षण और लेखापरीक्षा के बीच अंतर

4. डेटा एक्सट्रैक्शन और एनालिटिक्स टूल की समझ: आईडिया
5. कोषागार में रखे जाने वाले विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों का उद्देश्य और प्रकृति।
6. कोषागार का पेंशन वितरण कार्य
7. कोषागारों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण
8. सीएजी के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश

संदर्भ पुस्तकें:

1. सामान्य भविष्य निधि नियम (केंद्रीय सेवाएं) (स्वामी का संकलन)
2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972
3. स्थायी आदेशों की नियमावली (लेखा और हकदारी) - खंड -1
4. कोषागारों के लिए लेखा नियम (प्रथम संस्करण 1992)
5. कमल गुप्ता द्वारा समकालीन लेखापरीक्षण (अध्याय: 3 आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन)
6. सामान्य भविष्य निधि नियम
7. केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली
8. आईएफएमएस उपयोगकर्ता नियमपुस्तिका
9. कोषागार निरीक्षण पर सीएजी द्वारा जारी निर्देश/दिशा-निर्देश/नियमपुस्तक

समूह - II

पीसी 16 राजस्व लेखापरीक्षा; स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा; लोक निर्माण लेखापरीक्षा

(सिविल लेखापरीक्षा और स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा)

अवधि: 2 घंटे ***अधिकतम अंक : 100***

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी अध्ययन आधारित होंगे

उद्देश्य:

यह लेखापरीक्षा के तीन क्षेत्रों का एक बहुप्रयोजन प्रशन पत्र है, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में व्यापक है, यहां प्रयास इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के व्यापक पहलुओं के साथ-साथ प्रत्येक से संबंधित कुछ मुख्य क्षेत्रों के बारे में परीक्षार्थी की समझ का आकलन करना होगा।

इसके लिए, इस पत्र के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार होंगे::

1. **राजस्व लेखापरीक्षा (100 में से 35 अंक)):**
   आयकर और जीएसटी की बुनियादी अवधारणाओं की समझ का परीक्षण

2. **स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा (100 में से 35 अंक):**
   स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा की सामान्य अवधारणाओं की समझ का परीक्षण, और इसका समर्थन करने वाले कानूनी ढांचे

3. **लोक निर्माण लेखापरीक्षा (100 में से 30 अंक):**
   अनुबंध लेखापरीक्षा, भण्डार एवं स्टॉक की लेखापरीक्षा तथा परियोजना प्रबंधन के पहलुओं की अवधारणाओं की समझ का परीक्षण।

1. <u>**राजस्व लेखापरीक्षा पाठ्यक्रम:**</u>

I. आयकर

(i) आकलन वर्ष, पिछला वर्ष, व्यक्ति, निर्धारिती, आयकर प्रभार, आय, सकल कुल आय, कुल आय और कर देयता, कृषि आय, छूट और कटौती के बीच अंतर, निर्माण की परिभाषा, पूंजीगत संपत्ति, कंपनी, उचित बाजार मूल्य, पूंजीगत प्राप्तियां बनाम राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय बनाम राजस्व व्यय, लेखांकन की विधि, व्यक्तिगत तथा कंपनी की आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति और कर की आपतन के बीच संबंध, आय की प्राप्ति और उपार्जन, भारत में उपचय या अर्जित मानी जाने वाली आय;

(ii) आय	अभिकलन और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस):
आईसीडीएस I	लेखांकन नीतियां
आईसीडीएस II	इन्वेंट्री का मूल्यांकन
आईसीडीएस III	निर्माण अनुबंध
आईसीडीएस IV	राजस्व मान्यता
आईसीडीएस V	मूर्त अचल संपत्ति
आईसीडीएस VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव
आईसीडीएस VII	सरकारी अनुदान
आईसीडीएस VIII	प्रतिभूतियां
आईसीडीएस IX	उधार लेने की लागत
आईसीडीएस X	प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां

(iii) व्यवसाय या पेशे से लाभ तथा मुनाफा - सिद्धांत और गणना: चार्जेबिलिटी, व्यावसायिक आय के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांत, लेखांकन की विधि, कटौती और भत्ते की योजना, मूल्यह्रास;

(iv) पूंजीगत लाभ - सिद्धांत और अभिकलन: पूंजीगत संपत्ति का अर्थ, पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण, पूंजीगत लाभ की गणना, प्रतिफल का पूर्ण मूल्य, हस्तांतरण पर व्यय, अधिग्रहण की लागत, सुधार की लागत, अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत और सुधार की अनुक्रमित लागत, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर की गणना पर समस्याएं

II. जीएसटी:

क. संवैधानिक पहलू, जीएसटी परिषद, जीएसटी का प्रशासन, आकलन और लेखापरीक्षा, दोहरा जीएसटी मॉडल, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 जीएसटी नेटवर्क,

ख. सीजीएसटी और आईजीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण - सीजीएसटी/आईजीएसटी कानून का अनुप्रयोग, समग्र और मिश्रित आपूर्ति सहित आपूर्ति की अवधारणा, अंतर-राज्य आपूर्ति, अंतर-राज्य आपूर्ति, प्रादेशिक जल में आपूर्ति, कर का प्रभार, कर से छूट, उद्ग्रहण संघटन, आईजीएसटी का वितरण,

ग. आपूर्ति का स्थान, समय तथा आपूर्ति का मूल्य,

घ. आगत कर क्रेडिट, जीएसटी देयता की गणना, जीएसटी की प्रक्रियाएं - पंजीकरण, कर चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, लेखे तथा अभिलेख, रिवर्स चार्ज सहित कर का भुगतान, प्रतिदाय, नियत कार्य, ई-कॉमर्स से संबंधित प्रावधान, जीएसटी फॉर्म (जीएसटी आरईजी -01, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 10, जीएसटी पीएमटी 01, जीएसटी-आरएफडी -01, जीएसटी आईटीसी -01)।

❖ **निम्नलिखित पुस्तकें/ संदर्भ सामग्री निर्धारित की गई हैं:**

(i) टैक्समैन का प्रत्यक्ष कर मैनुअल (खंड I - अधिनियम),

(ii) वर्ष का वित्त अधिनियम (पिछले वर्ष के वित्त अधिनियम के रूप में पढ़ा जा सकता है),

(iii) आयकर अधिनियम, 1961

(iv) आयकर नियम, 1962

(v) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आय गणना और प्रकटीकरण मानक

(vi) जीएसटी कानून गाइड के साथ कर समाहर्ता की जीएसटी नियमपुस्तिका

(vii) सेंटैक्स जीएसटी लॉ टाइम्स (नवीनतम अंक)

(viii) हैंडबुक ऑफ जीएसटी इन इंडिया: राकेश गर्ग द्वारा अवधारणा और प्रक्रियाएं;

2. स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा पाठ्यक्रम:

स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा मानकों, दिशानिर्देशों और नियमपुस्तिका आदि के प्रावधान:

(i) संविधान में 73वां और 74वां संशोधन और उसका विवरण,

(ii) केंद्रीय वित्त आयोग की नवीनतम सिफारिशें जहां तक यह केवल स्थानीय निकायों से संबंधित हैं,

(iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए लेखापरीक्षा मानक,

(iv) दिसंबर 2002 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए अनुदेश नियमपुस्तिका

❖ **निर्धारित पुस्तकें/संदर्भ सामग्री उपर्युक्त के समान होंगी।**

3.लोक निर्माण लेखापरीक्षा पाठ्यक्रम:

- संविदा की सामान्य शर्तों सहित संविदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण भाग,
- संविदाओं की लेखापरीक्षा,
- भंडार और स्टॉक की लेखापरीक्षा,
- परियोजना प्रबंधन के पहलू (पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण, अन्य संगठनों के साथ समन्वय)

- **निम्नलिखित पुस्तकें/ संदर्भ सामग्री निर्धारित की गई हैं:**

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक स्थायी आदेश की नियमपुस्तिक (लेखापरीक्षा),

भाग 2, अध्याय 4

भाग 3, अध्याय 7

लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमन, 2007, जितना प्रासंगिक हो

जीएफआर 2017 के प्रासंगिक अध्याय
परियोजना प्रबंधन: प्रदीप पाई (पियर्सन)

समूह - II

संशोधित पीसी-17: रक्षा लेखापरीक्षा

अवधि: 2 घंटे ***अधिकतम अंक :100***

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी आधारित होंगे

उद्देश्य:

क. रक्षा संगठन की समझ का परीक्षण करना

ख. रक्षा सेवाओं और उनके आंतरिक नियंत्रणों के कामकाज से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करना

ग. रक्षा सेवाओं की लेखापरीक्षा प्रक्रिया की समझ का परीक्षण करना

विस्तृत पाठ्यक्रम:

I. रक्षा संगठन की समझ

II. रक्षा सेवाओं के कामकाज और उनके आंतरिक नियंत्रण से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं

III. रक्षा सेवाओं की लेखापरीक्षा प्रक्रिया

भाग I: रक्षा संगठन की समझ **(10 प्रतिशत)**

1. रक्षा मंत्रालय का संगठन
2. रक्षा मंत्रालय के अंतर-सेवा संगठन
3. भारतीय सेना का संगठन
4. भारतीय नौसेना का संगठन
5. भारतीय वायु सेना का संगठन
6. बीआरओ का संगठन
7. डीआरडीओ का संगठन
8. आयुध कारखानों का संगठन (अब डीपीएसयू के रूप में पुनर्गठित)
9. रक्षा लेखा विभाग का संगठन

पठन सामग्री/सुझाए गए पठन:

(i) लेखापरीक्षा विभाग रक्षा सेवाओं की नियमावली खंड 1-भाग सी (9वां संस्करण - 2005) – अध्याय 25, अध्याय 42 का भाग -1 (पैरा 829-835), अध्याय 44 (पैरा 867 से 877)

(ii) अध्याय 5,6,22 और 23 आईएएंडएडी की नियमपुस्तिका, रक्षा लेखापरीक्षा विंग, वायु सेना और नौसेना, खंड –2, दूसरा संस्करण (2010)।

(iii) रक्षा लेखा विभाग का. ज्ञा. पीटी. I - अध्याय I (2014 संस्करण)

(iv) वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 - रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को संदर्भित किया जा सकता है जहां मंत्रालय ने अंतर-सेवा संगठनों के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। (उम्मीदवार वेबसाइट पर नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट देख सकते हैं))

(v) एमओडी, थलसेना, नौसेना और वायु सेना हेतु:

www.mod.gov.in

https://indianarmy.nic.in

https://indiannavy.nic.in

https://indianairforce.nic.in

https:// www.drdo.gov.in

https://ddpdoo.gov.in/

https://www.ddpmod.gov.in/

भाग II: रक्षा सेवाओं के कामकाज और उनके आंतरिक नियंत्रण से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं

(60 प्रतिशत)

निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान:

1. थलसेना, वायु सेना और नौसेना के रक्षा सेवा विनियम
2. छावनियों के प्रबंधन और उनकी भूमि के प्रशासन से संबंधित प्रावधान
3. एमईएस का मार्गदर्शन करने वाले विनियम और एमईएस में संविदाओं को शासित करने वाले प्रावधान
4. रक्षा सेवाओं में कार्यों और परिचालन कार्यों से संबंधित प्रावधान
5. रक्षा सेवाओं में पूंजी और राजस्व अधिप्राप्ति से संबंधित प्रावधान
6. आयुध कारखानों के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान
7. सेना, वायु सेना और नौसेना में आईएफए प्रणाली
8. डीआरडीओ में प्रक्रियाएं और कार्यविधियाँ
9. बीआरओ में प्रक्रियाएं और कार्यविधियाँ

पठन सामग्री/सुझाई गई पठन:

(i) रक्षा सेवा विनियम: सेना भाग I और II के लिए विनियम (संशोधित संस्करण 1987)

(ii) रक्षा सेवा विनियम: वायु सेना के लिए विनियम (पुनर्मुद्रित संस्करण 2000)

(iii) नौसेना के लिए विनियम, भाग 2: अनुशासन और विविध प्रावधान विनियमन 1965

(iv) नौसेना के लिए विनियम भाग III: नौसेना नियम, सेवा की शर्तें और विविध विनियम, 1963

(v) रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली 2009

(vi) रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020

(vii) एमईएस के लिए विनियम 1968 संस्करण (पुनर्मुद्रण 1982)

(viii) रक्षा कार्य प्रक्रिया 2020

(ix) संविदा पर एमईएस नियमपुस्तिका 2020

(x) आईएफ़ए (सेना) नियमपुस्तिका 2007

(xi) आईएफ़ए (नौसेना) नियमपुस्तिका 2008

(xii) आईएफ़ए (वायु सेना) नियमपुस्तिका 2008

(xiii) छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021

(xiv) छावनी अधिनियम, 2006

(xv) आंतरिक लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका (मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक (ओएफ) कोलकाता रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्राधिकरण के तहत जारी (2014 में)

(xvi) सीमा सड़क अधिप्राप्ति प्रक्रिया।

(xvii) डीआरडीओ में परियोजना निर्माण और प्रबंधन के लिए निर्देश (डीपीएफ़एम-2021)

(xviii) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर दिशानिर्देश

(xix) प्रौद्योगिकी विकास निधि पर प्रक्रियाएं

(xx) डीआरडीओ भण्डार प्रबंधन दिशानिर्देश

(xxi) डीआरडीओ अधिप्राप्ति नियमपुस्तिका 2020

(xxii) आर एंड डी निर्माण स्थापना कार्य प्रक्रिया।

भाग III: रक्षा सेवाओं की लेखापरीक्षा प्रक्रिया (30 प्रतिशत)

निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान:

1. आईएएंडएडी द्वारा रक्षा सेवाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित संगठन और प्रक्रियाएं
2. पीसीडीए/सीडीए के विभिन्न वर्गों का संगठन और केंद्रीय नमूना लेखापरीक्षा से संबंधित सामान्य अनुदेश
3. विभिन्न रक्षा सेवाओं और प्रतिष्ठानों के स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा के दौरान लागू की जाने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रिया।
4. रक्षा सेवाओं में आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधान

पठन सामग्री/सुझाई गई पठन:

(i) लेखापरीक्षा विभाग रक्षा सेवा खंड-I भाग-ए, बी और सी की नियमपुस्तिका (9वां संस्करण - 2005)

(ii) आईएएंडएडी की नियमपुस्तिका, रक्षा लेखापरीक्षा विंग, वायु सेना और नौसेना, खंड - II दूसरा संस्करण (2010)

(iii) लेखापरीक्षा विभाग रक्षा सेवा (आयुध और आयुध उपकरण कारखानें) की नियमपुस्तिका खंड –III (2001)

(iv) रक्षा लेखापरीक्षा कोड (2014 संस्करण)

समूह - II

पीसी-18: वित्त और संचार लेखापरीक्षा

अवधि: 2 घंटे ***अधिकतम अंक : 100***

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी अध्ययन आधारित होंगे

उद्देश्य:

कार्यालय डीजीए (एफ एंड सी), दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के तहत लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा पालन की जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं के ज्ञान और समझ का परीक्षण करना और (ख) अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान राजस्व मान्यता और व्यय की जांच करने के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं

विस्तृत पाठ्यक्रम:

I. लेखापरीक्षा इकाइयों का संगठनात्मक सेटअप और कार्य **25 अंक**

क. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अंतर्गत एफएंडसी लेखापरीक्षा विंग का संगठन और कार्य
ख. क्षेत्राधिकार के तहत लेखापरीक्षित इकाइयों के संगठन और कार्य
ग. सामान्य वित्तीय नियम
घ. संबंधित मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/एबी के सेवा नियम
ङ. संबंधित मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/एबी की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन
च. सभी चरणों में लेखापरीक्षा के नियमों/अधिनियमों/प्रावधानों का अनुप्रयोग

II. लेखापरीक्षित इकाइयों के कामकाज और उनके आंतरिक नियंत्रण से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को समझना **25 अंक**

क. लेखापरीक्षित संस्थाओं, लेखापरीक्षा इकाइयों और कार्यान्वयन इकाइयों का निर्धारण
ख. अनुपालन लेखापरीक्षा, महत्वपूर्णता, जोखिम मूल्यांकन, इकाइयों का चयन और रिपोर्टिंग के लिए योजना तैयार करना
ग. कोडल प्रावधानों के अनुसार व्यय के साथ-साथ राजस्व मान्यता
घ. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानक
ङ. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी लेखापरीक्षा की नियमपुस्तिका/अधिनियमों/दिशानिर्देशों के प्रावधान

III. वित्त और लेखा प्रावधानों की समझ **25 अंक**

क. सरकारी लेखा नियम, 1990 के प्रावधान

ख. संबंधित इकाई के बजट निर्माण सहित निधियों की आवश्यकता और प्राप्ति

ग. वित्तीय प्रबंधन और कार्यान्वयन की सामान्य प्रणाली

घ. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और आईएनडी एएस द्वारा जारी लेखा मानक

ङ. लेखांकन नीति, लेखा अनुदेश, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय-समय पर जारी लेखा अभिलेख के प्रारूप

IV. लेखापरीक्षा विश्लेषण और रिपोर्टिंग को समझना **25 अंक**

क. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के प्रावधान

ख. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के प्रावधान

ग. विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करना

घ. लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर एक स्वतंत्र और आधिकारिक दृष्टिकोण या निष्कर्ष प्रदान करना

ङ. प्रासंगिक विषयों का मामला अध्ययन

च. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विश्लेषण के आधार पर सिफारिशें प्रदान करना

सुझाई गई पठन सामग्री/संदर्भ:

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियमपुस्तिका (लेखापरीक्षा)
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन नियमपुस्तिका
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा नियमावली
7. सामान्य वित्तीय नियम 2017
8. पीएंडटी लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका (समवर्ती लेखापरीक्षा)
9. डाकघर बचत बैंक नियमपुस्तिका खंड I
10. डाकघर बचत बैंक नियमपुस्तिका खंड II
11. कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) नियमपुस्तिका
12. सिविल लेखा नियमपुस्तिका
13. पीएंडटी एफएचबी खंड - I (अध्याय -VII))
14. पीएंडटी नियमपुस्तिका खंड - II (अध्याय-XII-बजट अनुमान और नियंत्रण))
15. पीएंडटी एफएचबी खंड. – III
16. पीएंडटी नियमपुस्तिका खंड – X
17. दूरसंचार लेखा और वित्त नियमपुस्तिका

18. ट्राई अधिनियम, 1997
19. समय-समय पर जारी किए गए जीएसटी नियम
20. मध्यस्थता और समाधान अधिनियम 1996
21. कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक नियम
22. लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय-समय पर जारी विनियम/नीतियां/आदेश/अनुदेश/दिशानिर्देश
23. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा की भूमिका पर स्थायी आदेश।
24. सरकारी संगठनों द्वारा की गई अधिप्राप्ति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के जारी आदेश
25. संघ और राज्यों के लेखाओं के मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष की सूची (एलएमएमएचए)
26. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश
27. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश

समूह - II

पीसी 19: रेलवे लेखापरीक्षा

अवधि: 2 घंटे ***अधिकतम अंक: 100***

प्रश्न मुख्य रूप से *केस स्टडी* आधारित होंगे

क्र. सं.	विषय का भाग और नामपद्धति	प्राप्तांक आवंटन की प्रतिशतता
1.	खंड I - रेलवे यातायात राजस्व	60
2.	खंड II - रेलवे कारख़ाना तथा भण्डारण लेखापरीक्षा	40
	कुल अंक	**100**

इस पेपर के उद्देश्य हैं:

1) राजस्व स्वीकृति तथा रेलवे यातायात राजस्व के लेखा की जांच में शामिल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के ज्ञान और समझ का परीक्षण करना।
2) रेलवे कारख़ाना और उत्पादन इकाइयों में विभिन्न गतिविधियों की कार्यप्रणाली को शासित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के ज्ञान और समझ का निर्धारण करना।
3) रेलवे के उपयोग और रद्दी वस्तुओं के निपटान के लिए भण्डार वस्तुओं की निविदा, खरीद, स्टॉकिंग और लेखांकन के कार्यों को निष्पादित करने में रेलवे के भंडारण विभाग के कामकाज में लागू प्रक्रियाओं और अवधारणाओं से संबंधित उम्मीदवार के ज्ञान और समझ का निर्धारण करना।
4) राजस्व प्राप्तियों, रेलवे कारख़ाना और रेलवे भण्डार कार्यों के साथ-साथ रेलवे में लेखा विभाग द्वारा किए गए आंतरिक नियंत्रण, लेखा और वित्त कार्यों के बारे में उम्मीदवार के ज्ञान की समझ का परीक्षण करना।
5) यातायात राजस्व, कारख़ाना, उत्पादन इकाइयों और दुकानों की खरीद और निपटान के क्षेत्र में रेलवे परिचालनों की लेखापरीक्षा पर लागू लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की समझ का मूल्यांकन करना।

खंड I: रेलवे यातायात राजस्व **(60 प्रतिशत)**

1. निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों/संहिताओं/मैनुअलों/पुस्तिकाओं/आदेशों का प्रावधान:

क. यातायात विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड (वाणिज्यिक) :

1. वाणिज्यिक विभाग का संगठन और कार्य (अध्याय 1)
2. दर और किराया (अध्याय II)
3. मुआवजे हेतु दावे और अधिभार का प्रतिदाय (अध्याय III)

4. माल की हानि आदि से संबंधित के अलावा मुआवजे के दावे और ट्रेन दुर्घटनाओं में शामिल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए महाप्रबंधक की शक्तियां (अध्याय VI)
5. रेलवे प्रयोक्ता परामर्शदात्री परिषद और समितियां (अध्याय V)
6. रेल प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाएं (अध्याय VI)
7. खानपान और विक्रय सेवाएं (अध्याय VII)
8. इंटर-मोडल परिवहन (अध्याय VIII)
9. बिना टिकट यात्रा इसकी जांच और रोकथाम (अध्याय IX)
10. 10. स्टेशन उत्कृष्ट (अध्याय X)
10. घाट-भाड़ा और विलम्ब शुल्क (अध्याय XI)
11. रेलवे मालभाड़ा और अन्य रेलवे बकायों के भुगतान का तरीका (अध्याय XII)
12. मांग पत्र आवंटन और माल डिब्बों की आपूर्ति का पंजीकरण (अध्याय XIV)
13. डाक यातायात (अध्याय XVI)
14. सिटी बुकिंग कार्यालय और बाहरी एजेंसियां (अध्याय XVII)
15. साइडिंग (अध्याय XVIII)
16. विविध (अध्याय XIX)

ख. भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमपुस्तिका खंड I:

1. परिचयात्मक (अध्याय I)
2. यात्री टिकट (अध्याय II)
3. प्लेटफार्मों पर प्रवेश और यात्रियों की ढुलाई (अध्याय III)
4. वारंट, रियायत आदेश, उच्च आधिकारिक मांग और मुफ्त पास, आदि (अध्याय IV)
5. यात्री टिकटों की जाँच और संग्रह (अध्याय V)
6. बर्थ, सीटों और डिब्बों का आरक्षण और विशेष ट्रेनों की बुकिंग (अध्याय VI)
7. यात्री यातायात के लिए प्रारंभिक लेखा और विवरणियां (अध्याय VII)
8. यात्रियों के सामान की बुकिंग और डिलीवरी (अध्याय VIII)
9. पार्सल यातायात की बुकिंग, वाहन और वितरण (अध्याय IX)
10. पशु और पक्षियों की बुकिंग (अध्याय X)
11. कतिपय मूल्यवान वस्तुओं की बुकिंग (अध्याय XI)
12. विविध यातायात (अध्याय XII)
13. प्रारंभिक कोचिंग पुस्तकें और विवरणियां (अध्याय XIII)

ग. भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमपुस्तिका खंड II:

1. माल यातायात की बुकिंग (अध्याय XIV)
2. माल की लोडिंग (अध्याय XV)
3. आवक वस्तुओं की अनलोडिंग और पुन: वजन (अध्याय XVII)

4. माल की सुपुर्दगी, फिर शुरु करना और पथांतर (अध्याय XVIII)
5. रेलवे सामग्री और भण्डार (अध्याय XIX)
6. माल यातायात के संबंध में प्रारंभिक पुस्तकें और विवरणियां (अध्याय XX)
7. मुआवजे के लिए दावे और अधिभार का प्रतिदाय (अध्याय XXI)
8. संपत्ति और लावारिस की हानि (अध्याय XXII)
9. माल, पार्सल आदि की हैंडलिंग (अध्याय XXIII)
10. यातायात प्राप्तियां और प्रेषण (अध्याय XXIV)
11. साइडिंग (अध्याय XXV)
12. आउट-एजेंसीज, सिटी बुकिंग कार्यालय और अन्य सहायक सेवाएं (अध्याय XXVI)
13. स्टेशन उत्कृष्ट (अध्याय XXVII)
14. खानपान और विक्रेता सेवाएं, संविदात्मकता को इंगित करना और वेडिंग, विभागीय खानपान और वेडिंग (अध्याय XXVIII)
15. वाणिज्यिक और लेखा निरीक्षण (अध्याय XXIX)
16. विविध (अध्याय XXX)
17. माल के वाहक के रूप में रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारियां (अध्याय XXXI)

घ. आईआरसीए टैरिफ - कोचिंग, माल, सैन्य, रेड टैरिफ - सभी भाग और खंड
ङ. आईआरसीए सम्मेलन नियम
च. यातायात लागत पर हैंडबुक - रेलवे बोर्ड का प्रकाशन
छ. यात्री गाड़ी की लाभप्रदता की गणना करने के लिए मानक विधि के लिए 1994 में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी अनुदेश
ज. भारतीय रेल अधिनियम, 1989

I.रेलवे लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका - छठा संस्करण (जून 2022) :

i) अध्याय 8 – वाणिज्यिक विभाग की लेखापरीक्षा
ii) अध्याय 3 – 9.5 – यातायात लेखाओं की लेखापरीक्षा

नोट: टैरिफ के मामले में, पिछले वित्तीय वर्ष में जारी प्रकाशन 'रेलवे यातायात राजस्व' के संबंध में संदर्भ पुस्तकें होंगी।

<u>पठन सामग्री/सुझाई गई पठन:</u>

1. यातायात विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड (वाणिज्यिक))
2. भारतीय रेलवे वाणिज्यिक नियमपुस्तिका खंड. I तथा II
3. आईआरसीए टैरिफ - कोचिंग, सामान, सैन्य, रेड टैरिफ - सभी भाग और खण्ड
4. आईआरसीए सम्मेलन नियम

5. यातायात लागत पर हैंडबुक - रेलवे बोर्ड का प्रकाशन
6. एक यात्री ट्रेन की लाभप्रदता की गणना करने के लिए मानक विधि के लिए 1994 में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देश
7. भारतीय रेल अधिनियम, 1989
8. रेलवे लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका - छठा संस्करण - जून 2022

खंड II - रेलवे कार्यशालाएं और भण्डार लेखापरीक्षा (40 प्रतिशत)

निम्नलिखित नियमपुस्तिका/कोड/मानक/दिशानिर्देशों के प्रावधान:

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एमएसओ (लेखापरीक्षा), 2002 - खंड III - अध्याय 19, 20, 21, 22.
2. मैकेनिकल विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड - सभी अध्याय (ढलाई घर लेखाओं एवं आरा मिल लेखाओं पर अध्याय X और XI को छोड़कर)
3. भण्डार विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड (खंड। I और खंड II) – सभी अध्याय
   1. राजस्व व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-I)
   2. पूंजीगत और अन्य कार्यों के व्यय का वर्गीकरण (परिशिष्ट-II)
4. रेलवे लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका - छठा संस्करण – जून 2022
   क) अध्याय – 14 – भण्डार विभाग की लेखापरीक्षा
   ख) अध्याय - 12 – यांत्रिक विभाग की लेखापरीक्षा
   ग) अध्याय -13 – उत्पादन इकाइयों की लेखापरीक्षा
   घ) अध्याय 3 – 9.3 – भण्डार लेखा
   ङ) अध्याय 3 - 9.4 – कार्यशाला लेखा

<u>पठन सामग्री/सुझाई गई पठन:</u>

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एमएसओ (लेखापरीक्षा), 2002
2. मैकेनिकल विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड
3. भण्डार विभाग के लिए भारतीय रेलवे कोड, खंड I और II
4. रेलवे लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका- छठा संस्करण - जून 2022

समूह- II

पीसी-20 वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक कानून और निगम कर कानून (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)

अवधि: 2 घंटे ***अधिकतम अंक: 100***

प्रश्न मुख्य रूप से केस स्टडी आधारित / व्यावहारिक उन्मुख होंगे

उद्देश्य

विभिन्न वाणिज्यिक कानूनों और निगम कर कानूनों के बारे में उम्मीदवार की समझ और व्यावहारिक स्थितियों के लिए कानून के प्रावधानों का विश्लेषण, व्याख्या और लागू करने की उनकी क्षमता का परीक्षण करना

विस्तृत पाठ्यक्रम:

I. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा:

(60 अंक)

1. लेखापरीक्षा की प्रकृति और सिद्धांत, भौतिकता की बुनियादी अवधारणाएं, जोखिम, योजना, प्रतिदर्शन, मूल परीक्षण और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं
2. आंतरिक नियंत्रण: प्रकृति और मूल्यांकन
3. नकद लेनदेन की लेखापरीक्षा: प्राप्तियां और भुगतान
4. आस्तियों का सत्यापन
5. आंतरिक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षा और सरकारी लेखापरीक्षा
6. कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा
7. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा (एमएसओ की धारा II, अध्याय V (लेखापरीक्षा))
8. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, उनके अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां पारिश्रमिक, संयुक्त लेखापरीक्षक, शाखा लेखापरीक्षक
9. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (11) के तहत जारी कंपनी लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट आदेश, 2020 के प्रावधान
10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देश
11. निगम प्रशासन: समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015
12. लेखापरीक्षा समिति: संविधान, शक्तियां और कर्तव्य।
13. समय-समय पर संशोधित कंपनी के प्रावधान (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014
14. लेखापरीक्षा के विशेष लक्षण:
    - क) वित्त कंपनियां
    - ख) बिजली कंपनियां
    - ग) परिवहन कंपनियां

घ) बीमा कंपनी

ङ) सामाजिक क्षेत्र/कल्याण कंपनियां-कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8

15. स्वायत्त और सांविधिक निकायों की लेखापरीक्षा

16. धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा की भूमिका

17. रियायतग्राही समझौतों और राजस्व के बंटवारे पर विशेष जोर देने के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा

18. सार्वजनिक उपक्रम समिति के विशेष संदर्भ में संसदीय समितियों की भूमिका

19. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानक (समय-समय पर यथा संशोधित):

अध्याय 1: मूल अभिधारणाएं

अध्याय 2: सामान्य मानक

अध्याय 3: विशिष्ट मानक

20. निम्नलिखित मानकों के विशेष संदर्भ में आईसीएआई (समय-समय पर संशोधित) द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानक:

(i) एसए 200: स्वतंत्र लेखापरीक्षक के समग्र उद्देश्य और लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन

(ii) एसए 220: वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए गुणवत्ता नियंत्रण

(iii) एसए 230: लेखापरीक्षा दस्तावेज़ीकरण

(iv) एसए 240: वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में धोखाधड़ी से संबंधित लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

(v) एसए 300: वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की योजना बनाना

(vi) एसए 315: सत्व और उसके पर्यावरण को समझने के माध्यम से सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका निर्धारण करना

(vii) एसए 320: योजना बनाने और लेखापरीक्षा करने में महत्वपूर्णता

(viii) एसए 450: लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए गलत विवरणों का मूल्यांकन

(ix) एसए 500: लेखापरीक्षा साक्ष्य

(x) एसए 520: विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं

(xi) एसए 530: लेखापरीक्षा प्रतिदर्शन

(xii) एसए 570 (संशोधित): सतत व्यवसाय

(xiii) एसए 700 (संशोधित): एक राय बनाना और वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट करना

(xiv) एसए 701: स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को संप्रेषित करना

(xv) एसए 705 (संशोधित): स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में राय में संशोधन

(xvi) एसए 706 (संशोधित): स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अन्य विषय अनुच्छेद और विषय की महत्ता

II वाणिज्यिक कानून और निगम कर कानून:

II क व्यावसायिक कानून: (25 अंक)

निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधान:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 - अध्याय 1 से 4 और अध्याय 8 से 10 और 12- इन अध्यायों से संबंधित निगम मामला मंत्रालय द्वारा जारी नियम।
2. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
3. भारतीय माल बिक्री अधिनियम, 1930
4. विनिमय उपकरण अधिनियम, 1881
5. विद्युत अधिनियम, 2003
6. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और लिस्टिंग समझौता
8. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा)
9. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
10. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

II ख निगम कर कानून: (15 अंक)

1. निगम कर- आयकर अधिनियम 1961 के तहत आय की गणना और प्रकटीकरण आवश्यकताओं सहित कंपनियों पर आयकर से संबंधित आयकर अधिनियम का प्रावधान
2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

<u>पठन सामग्री/सुझाव:</u>

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा:

1. कमल गुप्ता द्वारा समकालीन लेखापरीक्षा
2. ए. कुमार, सी. गुप्ता और आरजे अरोड़ा द्वारा लेखापरीक्षित और कॉर्पोरेट गवर्नेंस
3. सीए प्रणव जैन द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा
4. बीएन टंडन द्वारा व्यवहारिक लेखापरीक्षा
5. कंपनी अधिनियम, 2013
6. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (11) के तहत जारी किया गया कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट आदेश 2020
7. समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015
8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी स्थायी आदेशों की नियमावली (लेखापरीक्षा)
9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की आंतरिक नियंत्रण मूल्यांकन नियमावली।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा नियमावली।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा

की भूमिका पर स्थायी आदेश

12. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देश

13. आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानक

14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानक

15. भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखा का एक समान प्रारूप

16. स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों की नियमावली

वाणिज्यिक कानून:

निम्नलिखित अधिनियम (समय-समय पर संशोधित)

1. कंपनी अधिनियम, 2013 - अध्याय 1 से 4 और अध्याय 8 से 10 और 12 - इन अध्यायों से संबंधित निगम मामला मंत्रालय द्वारा जारी नियम
2. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
3. भारतीय माल बिक्री अधिनियम, 1930
4. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
5. विद्युत अधिनियम, 2003
6. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और लिस्टिंग समझौता
8. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा)
9. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
10. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

निगम कर कानून:

1. विनोद के. सिंघानिया द्वारा प्रत्यक्ष कर कानून और अभ्यास
2. आयकर अधिनियम, 1961
3. सीए विजेंदर अग्रवाल द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पुस्तक
4. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017